सत्यमेव जयते

वित्त लेखे

(खण्ड – I)

2016-2017

मध्यप्रदेश सरकार

वित्त लेखे

(खण्ड – I)

2016 – 2017

मध्यप्रदेश सरकार

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ
	खण्ड–I	
▪	विषय सूची	i-ii
▪	भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रमाण–पत्र	iii-iv
▪	वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	vi-xii
विवरण पत्रक संख्या 1	वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक	1-2
विवरण पत्रक संख्या 2	प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण पत्रक अनुलग्नक – रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश	3-9
विवरण पत्रक संख्या 3	प्राप्तियों का विवरण पत्रक (समेकित निधि)	10-13
विवरण पत्रक संख्या 4	व्यय का विवरण पत्रक (समेकित निधि)	14-19
विवरण पत्रक संख्या 5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण पत्रक	20-25
विवरण पत्रक संख्या 6	उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण पत्रक	26-29
विवरण पत्रक संख्या 7	सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिमों का विवरण पत्रक	30-31
विवरण पत्रक संख्या 8	सरकार के निवेशों का विवरण पत्रक	32
विवरण पत्रक संख्या 9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण पत्रक	33
विवरण पत्रक संख्या 10	सरकार द्वारा दिये गए सहायता अनुदानों का विवरण पत्रक	34
विवरण पत्रक संख्या 11	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण पत्रक	35
विवरण पत्रक संख्या 12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिये निधियों के स्त्रोतों और अनुप्रयोगों का विवरण पत्रक	36-40
विवरण पत्रक संख्या 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों के सारांश	41-43
▪	लेखों पर टिप्पणियां	44-59
	खण्ड–II	
भाग–I :		
विवरण पत्रक संख्या 14	राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक	61-103
विवरण पत्रक संख्या 15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक	104-150
विवरण पत्रक संख्या 16	पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण पत्रक	151-281
विवरण पत्रक संख्या 17	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण पत्रक	282-294
विवरण पत्रक संख्या 18	राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिमों का विस्तृत विवरण पत्रक	295-327
विवरण पत्रक संख्या 19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण पत्रक	328-361
विवरण पत्रक संख्या 20	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण पत्रक	362-365
विवरण पत्रक संख्या 21	आकस्मिकता निधि और अन्य लोक लेखा लेन–देनों का विस्तृत विवरण पत्रक	366-376
विवरण पत्रक संख्या 22	उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण पत्रक	377-379

विषय–सूची – समाप्त

विषय **पृष्ठ**

भाग–II :

परिशिष्ट संख्या I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय	381-389
परिशिष्ट संख्या II	राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय	390-392
परिशिष्ट संख्या III	राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदान/सहायता (संस्थावार एवं योजनावार)	393-408
परिशिष्ट संख्या IV	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे	409-415
परिशिष्ट संख्या V	आयोजनागत योजना व्यय	416-428
	अ. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं एवं केन्द्र आयोजनागत योजनाएं)	
	ब. राज्य आयोजनागत योजनाएं	
परिशिष्ट संख्या VI	राज्य में क्रियान्वयन संस्थाओं को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट के बाहर) (अलेखापरीक्षित राशियाँ)	429-430
परिशिष्ट संख्या VII	शेषों की स्वीकृति एवं पुनर्मिलान (जैसा विवरण 18 एवं 21 में दर्शाया गया है)	431
परिशिष्ट संख्या VIII	सिंचाई निर्माण कार्यों के विŸाीय परिणाम	432
परिशिष्ट संख्या IX	सरकार की वचनबद्धता – अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची	433-452
परिशिष्ट संख्या X	वेतन एवं अवेतन हिस्से के पृथक्करण सहित अनुरक्षण व्यय	453-465
परिशिष्ट संख्या XI	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं	466-469
परिशिष्ट संख्या XII	सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं	470
परिशिष्ट संख्या XIII	राज्यों के पुनर्गठन – शेषों की मदें जिनका बंटवारा राज्यों के मध्य/बीच अंतिम रूप से नहीं किया गया है।	471-473

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रमाण–पत्र

इस संकलन में 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे शामिल हैं जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। इन लेखाओं को दो खण्डों में प्रस्तुत किया जाता है खण्ड–I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति शामिल है और खण्ड–II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाते हैं। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों के लिए वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखाओं को नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तिया¡ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार हमारे पर्यवेक्षण के अन्तर्गत तैयार किया गया है और उन्हें मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत ऐसे लेखाओं के कार्यचालन को रखने वाले उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत वाऊचरों, चालानों एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन में विवरणों (संख्या 7, 8, 9, 18, 19 एवं 20) और परिशिष्ट (IV, VIII एवं IX) को मध्यप्रदेश सरकार/निगमों/कम्पनियों/सोसाइटियों जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और/अथवा विभाग प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं की तैयारी और परिशुद्धता के साथ–साथ ऐसे लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने और उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय निश्चित संवर्गों, पृथक रिपोर्ट देने वाली प्रणालियों एवं प्रबंध संरचना के साथ एक स्वतंत्र संगठन है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गये स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए मैं अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि व्याख्यात्मक 'लेखाओं के लिए टिप्पणियों' के साथ पठित वित्त लेखे 2016–17 वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष अथवा पूर्व वर्षों के दौरान इन लेखाओं के अध्ययन के साथ–साथ की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य मुद्दे 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली मध्यप्रदेश सरकार पर हमारे प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

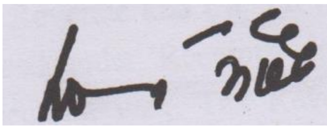

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

दिनांक : 23.03.2018
स्थान : नई दिल्ली

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

क. सरकारी लेखे की संरचना का विस्तृत विहंगावलोकन

1. मध्यप्रदेश राज्य के वित्त लेखे वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और निर्गमों के लेखाओं के साथ ही राजस्व और पूंजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों तथा लेखाओं में दर्ज शेषों से परिकलित राज्य सरकार के लोक ऋण और दायित्व तथा परिसंपत्तियों के लेखाओं को प्रदर्शित करते हैं।

2. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं :

भाग–I :– समेकित निधि : इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋण (बाजार ऋण, बंध पत्र, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त किया गया धन समाविष्ट होता है। इस निधि में से कोई धन विधि के अनुरूप और भारत के संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों तथा रीति से अन्यथा विनियुक्त नहीं किया जायेगा। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे–संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान आदि), राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित होती हैं तथा विधानसभा द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) विधान सभा द्वारा मतदेय होता है।

समेकित निधि में दो अनुभाग होते हैं: राजस्व तथा पूंजीगत (''लोक ऋण, कर्ज और पेशगियां'' सहित)। ये अनुभाग आगे ''प्राप्तियाँ'' तथा ''व्यय'' के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध होते हैं। राजस्व प्राप्तियाँ अनुभाग तीन क्षेत्रों (सेक्टर) में विभाजित होता है, यथा, ''कर राजस्व'', ''करेतर राजस्व'' एवं ''सहायता अनुदान तथा अंशदान''। ये तीन क्षेत्र (सेक्टर) आगे उपक्षेत्रों (सब सेक्टर) में विभाजित होते हैं जैसे – ''आय एवं व्यय पर कर'', ''राजकोषीय सेवाएं'' आदि। पूंजीगत प्राप्तियाँ अनुभाग के अन्तर्गत क्षेत्र, उपक्षेत्र (सेक्टर, सब सेक्टर) नहीं होते हैं। राजस्व व्यय अनुभाग चार क्षेत्रों (सेक्टर) में विभाजित होता है, यथा, ''सामान्य सेवाएँ'', ''सामाजिक सेवाएँ'', ''आर्थिक सेवाएँ'' और ''सहायता अनुदान तथा अंशदान''। राजस्व व्यय अनुभाग के ये क्षेत्र (सेक्टर) आगे उपक्षेत्रों (सब सेक्टर) में विभाजित होते हैं जैसे – ''राज्य के अंग'' ''शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति'' आदि। पूँजीगत व्यय अनुभाग सात क्षेत्रों (सेक्टर) में उप–विभाजित होता है यथा – ''सामान्य सेवाएँ'', ''सामाजिक सेवाएँ'', ''आर्थिक सेवाएं'', ''लोक ऋण'', ''कर्ज तथा उधार'', ''अंतर्राज्यीय परिशोधन'' तथा ''आकस्मिकता निधि को अन्तरण''।

भाग–II : आकस्मिकता निधि : यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जिसे राज्य विधायिका द्वारा विधि से स्थापित की जाती है और राज्य की विधायिका द्वारा ऐसे व्यय प्राधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय करने के लिए अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल की सुपुर्दगी में रखी जाती है। उक्त निधि की प्रतिपूर्ति, व्यय को राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्यशीर्ष को नामे कर की जाती है। वर्ष 2016–17 के लिए मध्यप्रदेश सरकार की आकस्मिकता निधि ₹ 500 करोड़ है।

भाग–III : लोक लेखा : अन्य समस्त लोक धन जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, जहाँ सरकार बैंक अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे – अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (अंतिम रूप से दर्ज होने तक, दोनों अल्पकालिक है) शामिल होते हैं। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी शामिल रहती है। लोक लेखे में छः क्षेत्र (सेक्टर) समाविष्ट है, यथा – ''लघु बचतें'', ''भविष्य निधियाँ'', ''आरक्षित निधियाँ'', ''जमा एवं अग्रिम'', ''उचंत एवं विविध'', ''प्रेषण'' तथा ''रोकड़ शेष''। ये क्षेत्र (सेक्टर) आगे उप क्षेत्रों में उप–विभाजित होते हैं। लोक लेखा विधायिका के मत के अधीन नहीं होता है।

3. शासकीय लेखा छः स्तरीय वर्गीकरण के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जाता हैं, यथा – मुख्यशीर्ष (चार अंक), उप मुख्यशीर्ष (दो अंक), लघुशीर्ष (तीन अंक), उपशीर्ष (चार अंक), विस्तृत शीर्ष (दो या तीन अंक) तथा उद्देश्य शीर्ष (दो या तीन अंक)। मुख्य शीर्ष सरकार के क्रिया–कलाप प्रदर्शित करते हैं, उप मुख्यशीर्ष उप क्रिया कलाप प्रदर्शित करते हैं, लघुशीर्ष कार्यक्रम/गतिविधियां दर्शाते हैं, उपशीर्ष योजना, विस्तृत शीर्ष उप–योजना दर्शाते हैं तथा उद्देश्य शीर्ष व्यय का प्रयोजन/उद्देश्य दर्शाते हैं।

4. लेखे में वर्गीकरण की मुख्य इकाई, मुख्य शीर्ष होता है, जो निम्नानुसार संकेत प्रतिमान (कोडिंग पैटर्न) में हैं (31 मार्च 2017 तक संशोधित मुख्य एवं लघुशीर्षों की सूची के अनुसार)।

0020 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूंजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	पूंजीगत व्यय (''लोक ऋण, कर्ज और पेशगियां'' सहित)
7999	आकस्मिकता निधि में विनियोग
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

5. वित्त लेखे, सामान्यतया (कुछ अपवादों सहित), लघुशीर्ष तक लेन–देन को दर्शाते हैं। वित्त लेखे में आंकड़े निवल स्तर पर दर्शाए जाते हैं अर्थात वसूलियों का व्यय की कमी के रूप में लेखाकरण करने के उपरांत। यह प्रतिपादन विधायिका को प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों के लिए माँग एवं विनियोग लेखों में दर्शाए जाने वाले से भिन्न होता है, जहाँ व्यय सकल स्तर पर दर्शाया जाता है।

6. लेखे की संरचना का चित्र प्रदर्शन नीचे किया गया है :

सरकारी लेखे की संरचना

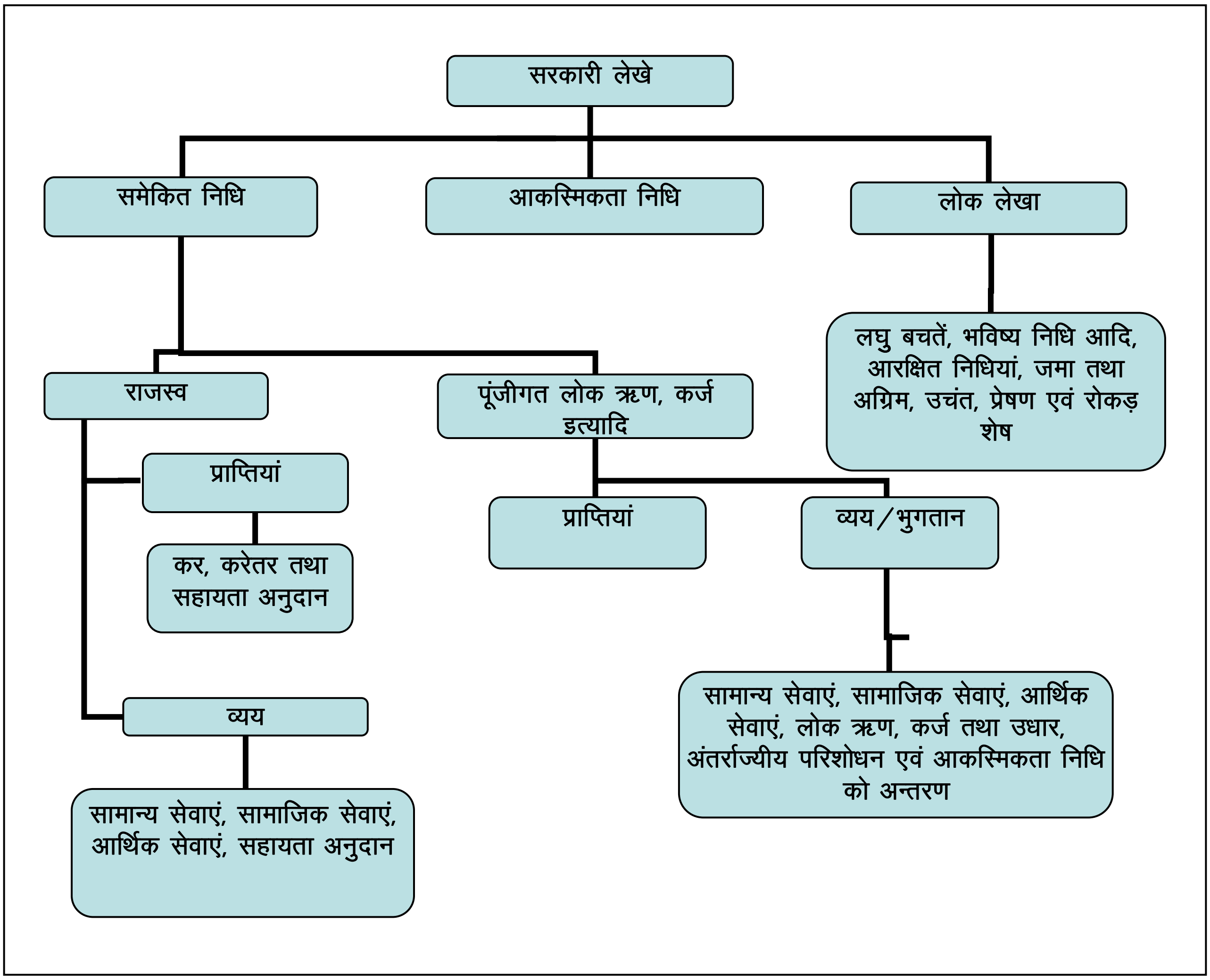

ख. वित्त लेखे में क्या निहित है

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत किए जाते हैं।

खण्ड–I में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रमाण–पत्र, वित्त लेखे की मार्गदर्शिका, 13 विवरण पत्रक जो राज्य सरकार की चालू वर्ष के लिए वित्तीय स्थिति एवं लेन–देनों की संक्षिप्त जानकारी दर्शाते हैं, लेखों पर टिप्पणियाँ और लेखों पर टिप्पणियों के अनुलग्नक सम्मिलित है। खण्ड–I के 13 विवरण पत्रकों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

1. **वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक राज्य सरकार की परिसम्पत्तियों और दायित्वों के संचयी आंकड़े जो वर्षान्त में तथा पूर्व वर्ष के अंत की स्थिति की तुलना में है, दर्शाता है।

2. **प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक राज्य सरकार की वर्ष के दौरान तीन भागों जिसमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं यथा – समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत समस्त प्राप्तियाँ और संवितरण दर्शाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के रोकड़ शेष (निवेश सहित) का वैकल्पिक चित्रण दर्शाने वाला इसका एक अनुलग्नक है। अनुलग्नक सरकार की अर्थोपाय की विस्तृत स्थिति भी दर्शाता है।

3. **प्राप्तियों का विवरण पत्रक (समेकित निधि) :** इस विवरण पत्रक में राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियाँ और उधार तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान शामिल होता है। यह विवरण पत्रक वित्त लेखे के खण्ड–II के विस्तृत विवरण पत्रक 14, 17 एवं 18 के समरूप होता है।

4. **व्यय का विवरण पत्रक (समेकित निधि) :** वित्त लेखे के लघु शीर्ष स्तर तक के सामान्य प्रदर्शन से पृथक यह विवरण पत्रक व्यय का, गतिविधियों (व्यय का उद्देश्य) की प्रकृति अनुसार विस्तृत विवरण भी दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड–II के विस्तृत विवरण पत्रक 15, 16, 17 एवं 18 के समरूप है।

5. **प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक खण्ड–II के विस्तृत विवरण पत्रक 16 के समरूप है।

6. **उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण पत्रक :** राज्य द्वारा उधार लेने में, उसके द्वारा उगाहे गए बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम शामिल होते हैं। अन्य दायित्वों में ''अल्प बचतें'', ''भविष्य निधियाँ आदि'', ''आरक्षित निधियां'' तथा ''जमा'' शामिल हैं। विवरण पत्रक में ऋण सेवा पर टिप्पणी भी होती है तथा यह खण्ड–II के विस्तृत विवरण पत्रक 17 के समरूप होता है।

7. **सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों का विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक राज्य सरकार द्वारा ऋणियों की विभिन्न श्रेणियों जैसे – सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकारियों तथा वैयक्तिक प्राप्तिकर्त्ता (शासकीय सेवकों सहित) को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों को दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड–II के विस्तृत विवरण पत्रक 18 के समरूप होता है।

8. **सरकार के निवेशों का विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक सांविधिक निकायों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की साधारण पूंजी में राज्य सरकार के निवेश को दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड–II के विस्तृत विवरण पत्रक 19 के समरूप होता है।

9. **सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों के मूल के पुनर्भुगतान एवं ऋणों पर ब्याज पर दी गयी प्रत्याभूतियों का सारांशीकरण है। यह विवरण पत्रक खण्ड–II के विस्तृत विवरण पत्रक 20 के समरूप होता है।

10. **सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों का विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक राज्य सरकार द्वारा अनुदान ग्रहीता की विभिन्न श्रेणियों जैसे – सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकारियों तथा व्यक्ति को दिए गए सहायता अनुदान को दर्शाता है। परिशिष्ट–III प्राप्तिकर्त्ता संस्थाओं का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।

11. **दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक वित्त लेखे में दर्शित हो रहे निवल आंकड़ों एवं विनियोग लेखों में दर्शित हो रहे सकल आंकड़ों के मध्य मिलान में सहायता प्रदान करता है।

12. **राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्त्रोतों और अनुप्रयोगों का विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय को अदा करने के सिद्धान्त पर आधारित है, जबकि वर्ष का पूंजीगत व्यय राजस्व आधिक्य से, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के प्रारंभ में नकद शेष तथा उधार से पूरा किया जाता है।

13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों के सारांश का विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक लेखे की शुद्धता को सिद्ध करने में सहायक होता है। यह विवरण पत्रक खण्ड–II के विस्तृत विवरण पत्रक 14, 15, 16, 17, 18 एवं 21 के समरूप होता है।

वित्त लेखे के खण्ड–II के दो भाग हैं – भाग–I में नौ विस्तृत विवरण तथा भाग–II में तेरह परिशिष्ट हैं।

खण्ड–II का भाग–I

14. **राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक वित्त लेखे के खण्ड–I के संक्षिप्त विवरण पत्रक–3 के समरूप होता है।

15. **राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक जो खण्ड–I में संक्षिप्त विवरण पत्रक–4 के समरूप है, राज्य सरकार का राजस्व व्यय आयोजना (राज्य आयोजना, राज्य आयोजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्र प्रवर्तित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना) तथा आयोजनेत्तर के अन्तर्गत दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय पृथक–पृथक दर्शाया जाता है।

16. **पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक जो खण्ड–**I** में संक्षिप्त विवरण पत्रक 5 के समरूप है, राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय, आयोजना (राज्य आयोजना, राज्य आयोजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्र प्रवर्तित योजना, केन्द्रीय आयोजना योजना) तथा योजनेत्तर के अन्तर्गत (वर्ष के दौरान एवं संचयी) दर्शाता है। प्रभारित तथा दत्तमत व्यय पृथक– पृथक दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट योजनाओं के संबंध में लघुशीर्ष स्तर पर पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण दर्शाने के लिए, यह विवरण पत्रक उपशीर्ष स्तर पर भी विस्तृत विवरण दर्शाता है।

17. **उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक जो खण्ड–I में संक्षिप्त विवरण पत्रक–6 के अनुरूप है, में राज्य सरकार द्वारा उगाहे गये सभी ऋणों के ब्यौरे (बाजार ऋण, ऋण पत्र, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ इत्यादि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम शामिल है। यह विवरण पत्रक ऋण पर तीन श्रेणियों के अंतर्गत सूचना प्रस्तुत करता है – (क) व्यक्तिगत ऋण के ब्यौरे (ख) परिपक्वता स्थिति जैसे विभिन्न वर्षों में ऋण की प्रत्येक श्रेणी से संबंधित भुगतान योग्य राशि तथा (ग) बकाया ऋणों की ब्याज दर स्थिति तथा बाजार ऋणों को दर्शाने वाला अनुलग्नक।

18. **राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों का विस्तृत विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक खण्ड–I में संक्षिप्त विवरण पत्रक–7 के समरूप है।

19. **सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक, विवरण पत्रक 16 एवं 19 के मध्य इकाईवार निवेश और मुख्य एवं लघु शीर्षवार विस्तृत विसंगतियों को दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड–I में विवरण पत्रक–8 के समरूप होता है।

20. **सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक शासकीय प्रतिभूतियों का इकाईवार विवरण दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड–I में विवरण पत्रक 9 के समरूप है।

21. **आकस्मिकता निधि और अन्य लोक लेखा लेन–देनों का विस्तृत विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक आकस्मिकता निधि के अंतर्गत लघुशीर्ष स्तर पर अनापूरित राशि के ब्यौरे, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन–देनों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाया शेषों की स्थिति दर्शाता है।

22. **उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण पत्रक :** यह विवरण पत्रक आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से किये गये निवेश के ब्यौरे को दर्शाता है।

खण्ड–II का भाग–II

भाग–II में वेतन, राज सहायता, सहायक अनुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं, बृहद् केन्द्रीय योजनाओं तथा राज्य आयोजनागत योजनाओं से संबंधित योजनावार व्यय से संबंधित मदों के सहित तेरह परिशिष्ट शामिल हैं। यह ब्यौरे उपशीर्ष स्तर या उससे नीचे (लघुशीर्ष स्तर से नीचे) के लेखाओं जिन्हें सामान्यतया वित्त लेखे में नहीं दर्शाया जाता है, को प्रस्तुत करते हैं। परिशिष्टों की विस्तृत सूची खण्ड–I या II की विषय सूची में दर्शित है। परिशिष्टों के साथ पठित विवरण राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं।

ग. **त्वरित गणना पत्रक**

नीचे दी गई सारणी खण्ड–I के अंतर्गत वर्णित संक्षिप्त विवरणों का संबंध खण्ड–II के विस्तृत विवरणों एवं परिशिष्टों से दर्शाती है (ऐसे परिशिष्ट जिनका संक्षिप्त विवरणों से सीधा संबंध नहीं है, को यहां नहीं दिखाया गया है)।

मापदण्ड	संक्षिप्त विवरण (खण्ड–I)	विस्तृत विवरण खण्ड–II	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्ति (प्राप्त अनुदानों सहित), पूंजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	14	–
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन), II (राज सहायता)
सरकार द्वारा दिया गया सहायता अनुदान	2, 10	–	III (सहायता अनुदान)
पूंजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा दिए गये ऋण और अग्रिम	1, 2, 4, 7, 12, 13	18	–
ऋण स्थिति / उधार	1, 2, 4, 6, 12, 13	17	–
निगमों, कम्पनियों आदि में सरकारी निवेश	8, 16	19	–
रोकड़	1, 2, 12, 13	–	–
लोक लेखे में शेष तथा उनके निवेश	1, 2, 6, 7, 12, 13	21, 22	–
प्रत्याभूति	9	20	–
अन्तर्राज्यीय समायोजन	2, 3, 4, 12, 13	–	
योजनाएं	–	–	IV (विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं), V (आयोजनागत योजना व्यय) एवं राज्य में क्रियान्वयन संस्थाओं को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण

घ. **आवधिक एवं पुस्तकीय समायोजन**

कुछ लेन–देन जो लेखा में प्रकट होते हैं, इन्द्राज के समय नगद के वास्तविक प्रचालन से अन्तर्ग्रस्त नहीं होते हैं। इनमें से कुछ लेन–देन उन लेखाओं को प्रस्तुत करने वाली इकाइयों के स्तर पर किये जाते हैं

(जैसे – कोषालय, संभाग इत्यादि)। उदाहरण के लिये, लेन–देन, जिनमें वेतन से सभी कटौत्रों के समायोजन शामिल होते हैं (सा.भ.नि., दिए गए अग्रिम की वसूली आदि) पुस्तकीय समायोजन द्वारा राजस्व प्राप्तियों/ऋणों/लोक लेखे को कार्यात्मक मुख्यशीर्ष का नामे करते हुए (संबंधित विभागों से सम्बद्ध) अभिलिखित किए जाते हैं। इसी तरह ''निरंक'' राशि वाले देयक, जहां धनराशि समेकित निधि और लोक लेखा के बीच अंतरित होती है लेखाओं को प्रस्तुत करने वाली इकाइयों के स्तर पर रोकड़ रहित लेन–देनों को दर्शाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य सरकार के लेखाओं में निम्न प्रकृति के आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन करते हैं जिनका विवरण लेखों पर टिप्पणियाँ के अनुलग्नक (खण्ड–I) एवं संबंधित विवरण पत्रकों की पाद टिप्पणी में वर्णित होता है।

आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन के उदाहरण नीचे दिये गये हैं :–

(1) समेकित निधि को नामे कर लोक लेखा में निधियों के अंशदान का समायोजन/निधियों का सृजन जैसे – राज्य आपदा विमोचन निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, आरक्षित निधियां, निक्षेप निधि इत्यादि।

(2) समेकित निधि को नामे कर लोक लेखा में निक्षेप शीर्ष को जमा करना।

(3) सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज को मुख्यशीर्ष 2049–ब्याज अदायगियां को नामे कर तथा मुख्यशीर्ष 8009–राज्य भविष्य निधि तथा मुख्यशीर्ष 8011–बीमा एवं पेंशन निधि को जमा कर सामान्य भविष्य निधि (सा.भ.नि.) पर ब्याज एवं राज्य कर्मचारी समूह बीमा योजना का वार्षिक समायोजन।

(4) केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर भारत सरकार की योजना के अंतर्गत ऋण माफी का समायोजन किया जाना। ये समायोजन (अपलिखित किए गए केन्द्रीय ऋणों को मुख्यशीर्ष 0075–विविध सामान्य सेवाएं को जमा कर एवं मुख्यशीर्ष 6004–केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम को विपरीत प्रविष्टि कर) दोनों राजस्व प्राप्तियों और लोक ऋण पर असर डालते हैं।

ङ. पूर्णांक

₹ 0.01 लाख/करोड़ का अंतर जहाँ कहीं भी परिलक्षित हो रहा है, पूर्णांक के कारण है।

1: वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

परिसम्पत्तियाँ [क]	संदर्भ (सरल क्रमांक)		31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
	लेखों पर टिप्पणियाँ	विवरण/परिशिष्ट		
रोकड़				
(i) खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	निरंक	विवरण सं.2 का अनुलग्नक	निरंक	निरंक
(ii) विभागीय शेष	निरंक	21	1.18	0.95
(iii) स्थाई अग्रदाय	निरंक	21	0.83	0.84
(iv) नकद शेष निवेश लेखा	निरंक	21	1,06,28.22	94,85.25
(v) भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (यदि शेष जमा हो तो ऋणात्मक चिह्न के साथ यहाँ शामिल हो)	निरंक	विवरण सं.2 का अनुलग्नक	(-) 52.99[ख][ग]	10,09.49[ख][ग]
(vi) उद्दिष्ट निधियों से निवेश[घ]	निरंक	22	4,16.42	4,02.21
पूंजीगत व्यय			**15,44,11.87**	**12,71,47.75**
(i) कंपनियों तथा निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश	3(iv)	19	2,26,71.87	1,65,99.57
(ii) अन्य पूंजीगत व्यय	निरंक	5	13,17,40.00	11,05,48.18
आकस्मिकता निधि (अनापूरित)	3(x)	निरंक	निरंक	निरंक
ऋण तथा अग्रिम	3(iii)	18	**4,49,95.50**	**4,08,37.49**
विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम	निरंक	21	**3.93**	**4.80**
उचंत तथा विविध शेष[ङ]	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
प्रेषण शेष	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य[च]	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
योग			**21,04,04.96**	**17,88,88.78**

(क) परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों की राशियाँ संचयी राशियाँ हैं। कृपया 'लेखों पर टिप्पणियाँ' अनुभाग के अंतर्गत टिप्पणी 1(ii) भी देखें।

(ख) दिनांक 31.10.2000 को भारतीय रिजर्व बैंक तथा महालेखाकार की पुस्तकों में ₹ 0.27 करोड़ के अंतर को अनंतिम रूप से आवंटित मध्यप्रदेश ¼₹ 0.05 करोड़½ तथा छत्तीसगढ़ (₹ 0.22 करोड़) को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्तरवर्त्ती मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ के मध्य जनसंख्या अनुपात (485.7 : 176.2) में परिशोधित किया जाना है।

(ग) 'भारतीय रिजर्व बैंक में जमा'' के अंतर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 10,09.49 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 5,66.36 करोड़ (जमा) के मध्य आंकड़ों में मार्च, 2017 के लेखे बंद होने पर ₹ 4]43.13 करोड़ (नामे) का अंतर था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेन्सी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारी को लेन–देनों को, लेखों में, गलत प्रतिवेदित करने के कारण है।

(घ) कंपनियों इत्यादि के शेयरों में 'उद्दिष्ट निधियों' में से किए गए निवेश' पूंजीगत व्यय में से हटाए गए हैं' तथा 'उद्दिष्ट निधियों' से निवेश ₹ 4,16.42 करोड़ (अकाल राहत निधि ₹ (–) 0.05 करोड़, राजस्व आरक्षित निधियां ₹ 7.61 करोड़, राज्य कृषि साख, सहायता और प्रत्याभूति निधि ₹ 0.07 करोड़, प्रत्याभूति मोचन निधि ₹ 4,08.78 तथा मध्यप्रदेश सरकार की अन्य निधियां ₹ 0.01 करोड़) में शामिल किए गए हैं।

(ङ) इस विवरण में पंक्ति मद 'उचंत एवं विविध शेषों' में 'रोकड़ शेष निवेश लेखा', 'विभागीय शेष' तथा 'स्थाई अग्रिम' शामिल नहीं हैं, जिन्हें पृथक से ऊपर सम्मिलित किया गया है, यद्यपि इन्हें लेखों में अन्यत्र इसी क्षेत्र में शामिल किया गया है।

(च) प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य अथवा व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य चालू वर्ष के राजकोषीय/राजस्व घाटे से भिन्न है तथा चालू वर्ष के लिए राजकोषीय/राजस्व घाटा नहीं है।

विवरण पत्रक संख्या 1 – समाप्त

(₹ करोड़ में)

दायित्व	संदर्भ (सरल क्रमांक)		31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
	लेखों पर टिप्पणियाँ	विवरण/ परिशिष्ट		
उधार (लोक ऋण)			**12,23,08.44**	**9,73,86.45**
(i) राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	निरंक	6, 17	10,83,91.34	8,37,18.44
बाजार ऋण	निरंक	6, 17	7,06,91.64	5,61,40.65
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियां	निरंक	6, 17	निरंक	निरंक
प्रतिकर तथा अन्य बंधपत्र	निरंक	6, 17	75,96.24	3,30.56
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	निरंक	6, 17	86,56.25	70,65.89
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	निरंक	6, 17	2,14,47.31	2,01,81.34
(ii) केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	निरंक	6, 17	1,39,17.10	1,36,68.01
योजनेत्तर कर्ज	निरंक	6, 17	35.51	39.16
राज्य योजनागत योजनाओं के लिये ऋण	निरंक	6, 17	1,38,79.71	1,36,26.97
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिये ऋण	निरंक	6, 17	निरंक	निरंक
केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत योजनाओं के लिये ऋण[क]	निरंक	6, 17	निरंक	निरंक
अन्य ऋण	निरंक	6, 17	1.88	1.88
आकस्मिकता निधि (कोष)	3(x)	21	**5,00.00**	**5,00.00**
लोक लेखा से संबंधित दायित्व			**3,60,07.95**	**3,31,63.95**
(i) लघु बचत, भविष्य निधि आदि	निरंक	12, 17, 21	1,44,93.19	1,36,82.37
(ii) जमा	निरंक	12, 17, 21	1,17,81.18	83,45.83
(iii) आरक्षित निधियाँ	निरंक	12, 21, 22	76,33.73	81,32.00
(iv) प्रेषण शेष	निरंक	12, 21	8,84.26	9,56.14
(v) उचंत तथा विविध शेष	निरंक	21	12,15.59[ख]	20,47.61
व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य	निरंक	निरंक	5,15,88.57[ग][घ]	4,78,38.38
योग			**21,04,04.96**	**17,88,88.78**

(क) मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित राशि ₹ 0.23 करोड़ का पुनर्भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा किया गया था जिसका वर्ष 2017–18 में समायोजन किया जावेगा।

(ख) उचंत तथा विविध शेषों में उचंत लेखे की राशि ₹ (–) 1,78.36 करोड़, **मुख्यशीर्ष 8679 – अन्य देशों की सरकारों के साथ खोले गए लेखे** (–) 0.15 करोड़ तथा **मुख्यशीर्ष 8670 – चैक तथा बिल** की राशि ₹ 13,94.10 करोड़ सम्मिलित है।

(ग) सहकारी समितियों/बैंकों से संबंधित वर्ष 2006–07 के पूंजी निवृत्ति/विनिवेश के ₹ 9.19 करोड़ सम्मिलित हैं।

(घ) **मुख्यशीर्ष 4000–विविध पूंजीगत प्राप्तियां,** लघुशीर्ष 800–अन्य प्राप्तियां के ₹ 3,29.66 करोड़ शामिल हैं, जो विवरण संख्या 12 में पूंजीगत एवं अन्य व्यय से घटाये गये हैं।

2: प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2016–17	2015–16		2016–17	2015–16
भाग– I समेकित निधि					
अनुभाग – अ : राजस्व					
राजस्व प्राप्तियाँ (संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)	**12,33,06.79**	**10,55,10.60**	**राजस्व व्यय (संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क, 4–ख एवं 15)**	**11,95,37.37**	**9,97,70.70**
कर राजस्व (राज्य द्वारा उगाहा गया) (संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)	**4,41,93.65**	**4,02,13.66**	वेतन[1] (संदर्भ : विवरण पत्रक 4–ख एवं परिशिष्ट–I)	1,99,51.48	1,91,66.43
करेतर राजस्व (संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)	**90,86.51**	**85,68.79**	**राजसहायता[1] (संदर्भ : परिशिष्ट–II)**	1,65,12.02	1,17,24.70
ब्याज प्राप्तियाँ (संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)	5,81.67	4,29.47	**सहायता अनुदान[2] (संदर्भ : विवरण पत्रक 4–ख, 10 एवं परिशिष्ट–III)**	3,86,53.93	3,09,59.24[3]
अन्य (संदर्भ :विवरण पत्रक 3)	85,04.84	81,39.32	**सामान्य सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4 एवं 15)**		
			ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन (संदर्भ :विवरण पत्रक 4–क, 4–ख एवं 15)	90,79.49	80,90.88
संघ करों/षुल्कों का भाग (संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)	**4,60,64.10**	**3,83,97.84**	पेंशन (संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क, 4–ख एवं 15)	87,93.16	78,18.69
			अन्य (संदर्भ : विवरण पत्रक 4–ख)	39,45.66	39,28.90
			योग (संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क एवं 15)	**2,18,18.31**	**1,98,38.47**
			सामाजिक सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क एवं 15)	**78,29.13**	**82,34.84**
			आर्थिक सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क एवं 15)	**80,85.83**	**40,76.46**
केन्द्र सरकार से अनुदान (संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)	**2,39,62.53**	**1,83,30.31**	**स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेषन (संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क एवं 15)**	**66,86.67**	**57,70.56**
राजस्व घाटा	**निरंक**	**निरंक**	**राजस्व आधिक्य**	**37,69.42**	**57,39.90**

1 **वेतन, राजसहायता तथा सहायता अनुदान की राशियाँ, समेकित राशि दर्शाने हेतु, सभी क्षेत्रों की एकत्रित की गई हैं। इस विवरण पत्रक में सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएं क्षेत्रों के व्यय के अंतर्गत वेतन, राजसहायता तथा सहायता अनुदान (पाद टिप्पणी–2 में स्पष्ट की गई) को शामिल नहीं किया गया है।**

2 सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, कंपनियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों इत्यादि को दी गई सहायता अनुदान शामिल है। ये अनुदान स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन से भिन्न है।

3 **मुख्यशीर्ष 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन** को छोड़कर लघुशीर्ष 191, 192, 193, 196, 197, 198 तथा उद्देश्य शीर्ष 42 सहायता अनुदान का योग सम्मिलित है।

विवरण पत्रक संख्या 2 – जारी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2016–17	2015–16		2016–17	2015–16
अनुभाग– ब : पूंजी					
पूँजीगत प्राप्तियाँ (संदर्भ : विवरण पत्रक 3 एवं 14)	**24.19**	**26.47**	**पूंजीगत परिव्यय[4, 5] (संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क, 4–ख एवं 16)**	**2,72,88.31**	**1,68,35.47**
			सामान्य सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क एवं 16)	6,97.84	5,49.21
			सामाजिक सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क एवं 16)	32,85.16	30,24.49
			आर्थिक सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क एवं 16)	2,33,05.31	1,32,61.77
ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ (संदर्भ : विवरण पत्रक 3, 7 एवं 18)	**7,72.05**	**1,62.32**	**ऋण तथा अग्रिम संवितरित (संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क, 7 एवं 18)**	**49,40.27**	**31,57.91**
सामान्य सेवायें	1.94	1.65	सामान्य सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क, 7 एवं 18)	0.50	13.45
सामाजिक सेवायें	49.78	60.99	सामाजिक सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क, 7 एवं 18)	76.76	33.56
आर्थिक सेवायें	7,27.66	99.65	आर्थिक सेवाएं (संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क, 7 एवं 18)	48,62.91	31,10.90
शासकीय कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम	(-) 7.33[6]	0.03	अन्य (संदर्भ :विवरण पत्रक 7)	0.10	निरंक
लोक ऋण प्राप्तियाँ (संदर्भ : विवरण पत्रक 3, 6 एवं 17)	**2,98,47.41**	**1,99,85.30**	**लोक ऋण का पुनर्भुगतान (संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क, 6 एवं 17)**	**49,25.41**	**48,60.36**

4 वर्ष 2015–16 में ''आर्थिक क्षेत्र सेवाएं'' के अन्तर्गत वेतन राशि के रूप में क्रमशः ₹ 2,23.80 करोड़ तथा वर्ष 2016–17 में ₹ 2,34.25 करोड़ (सामाजिक क्षेत्र में ₹ 14.89 करोड़ एवं सामाजिक क्षेत्र में ₹ 14.89 करोड़ तथा आर्थिक क्षेत्र में ₹ 2,19.36 करोड़) सम्मिलित है।

5 वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में सहायता अनुदान की राशि ₹ 3,71.09 करोड़ (₹ 3,08.76 करोड़ सामाजिक क्षेत्र में तथा ₹ 62.33 करोड़ आर्थिक क्षेत्र में) एवं ₹ 2,03.02 करोड़ (₹ 95.76 करोड़ सामाजिक क्षेत्र एवं ₹ 1,07.26 करोड़ आर्थिक क्षेत्र में) क्रमशः सम्मिलित है। पूंजीगत परिव्यय शीर्षों के अन्तर्गत सहायक अनुदान का प्रावधान करने विषयक राज्य शासन को लिखा गया है।

6 **मुख्यशीर्ष 7610** के अंतर्गत गलत वर्गीकृत ब्याज राशि के **मुख्यशीर्ष 0049** में अंतरण के कारण ऋणात्मक राशि है।

विवरण पत्रक संख्या 2 – जारी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2016–17	2015–16		2016–17	2015–16
अनुभाग– ब : पूंजी					
आंतरिक ऋण[7] (बाजार ऋण, रा.अ.ब.नि. इत्यादि) (संदर्भ : विवरण पत्रक 3, 6 एवं 17)	2,85,80.74[क]	1,86,59.18[ख]	आंतरिक ऋण, (बाजार ऋण रा.अ.ब.नि. इत्यादि) (संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क, 6 एवं 17)	39,07.83[ग]	39,48.42[घ]
भारत सरकार से ऋण (संदर्भ : विवरण पत्रक 3, 6 एवं 17)	12,66.67	13,26.12	भारत सरकार से ऋण (संदर्भ : विवरण पत्रक 4–क, 6 एवं 17)	10,17.58	9,11.94
अन्तर्राज्यीय परिशोधन लेखा	**0.01**	**1.93**	अन्तर्राज्यीय परिशोधन लेखा	**0.66**	**1.94**
			आकस्मिक निधि को अंतरण	निरंक	निरंक
कुल प्राप्तियाँ–समेकित निधि (संदर्भ:विवरण पत्रक 3)	**15,39,50.45**	**12,56,86.62**	**कुल व्यय–समेकित निधि (संदर्भ : विवरण पत्रक 4)**	**15,66,92.02**	**12,46,26.38**
समेकित निधि में घाटा	**27,41.57**	**निरंक**	**समेकित निधि में आधिक्य**	**निरंक**	**10,60.24**
भाग–II आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि (संदर्भ : विवरण पत्रक 21)	**निरंक**	**1.08**	**आकस्मिकता निधि (संदर्भ : विवरण पत्रक 21)**	**निरंक**	**निरंक**
भाग–III लोक लेखा[8]					
लघु बचतें (संदर्भ : विवरण पत्रक 21)	**34,86.37**	**34,98.22**	**लघु बचतें (संदर्भ : विवरण पत्रक 6, 17 एवं 21)**	**26,73.71**	**24,73.70**
आरक्षित एवं समेकित शोधन निधि (संदर्भ : विवरण पत्रक 21)	**37,01.34**	**27,20.33**	**आरक्षित एवं समेकित शोधन निधि (संदर्भ : विवरण पत्रक 6, 17 एवं21)**	**42,13.82**	**9,86.05**
जमा (संदर्भ : विवरण पत्रक 21)	**2,70,70.45**	**2,33,20.51**	**जमा (संदर्भ : विवरण पत्रक 6, 17 एवं21)**	**2,36,35.10**	**2,27,46.51**
अग्रिम (संदर्भ : विवरण पत्रक 21)	**25.28**	**28.75**	**अग्रिम (संदर्भ : विवरण पत्रक 21)**	**24.41**	**28.70**

7 आंतरिक ऋण में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) से संबंधित प्राप्तियां (क) ₹ 25,18.25 करोड़ (ख) ₹ 18,83.72 करोड़ और संवितरण (ग) ₹ 12,52.28 करोड़ (घ) ₹ 9,61.99 करोड़ सम्मिलित है।

8 विवरण हेतु कृपया खंड–II का विवरण संख्या–21 देखें।

विवरण पत्रक संख्या 2 – जारी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2016–17	2015–16		2016–17	2015–16
अनुभाग– ब : पूंजी					
उचंत एवं विविध (संदर्भ : विवरण पत्रक 21)	**36,13,45.84**	**24,03,97.51**	उचंत एवं विविध[9] (संदर्भ : विवरण पत्रक 21)	**36,33,31.27**	**24,36,28.40**
प्रेषण (संदर्भ : विवरण पत्रक 21)	**1,80,63.48**	**1,58,67.66**	प्रेषण (संदर्भ : विवरण पत्रक 21)	**1,81,35.36**	**1,62,20.77**
योग–लोक लेखा प्राप्तियाँ (संदर्भ : विवरण पत्रक 21)	**41,36,92.76**	**28,58,32.98**	योग–लोक लेखा संवितरण (संदर्भ : विवरण पत्रक 21)	**41,20,13.67**	**28,60,84.13**
लोक लेखा में घाटा	निरंक	**2,51.15**	लोक लेखा में आधिक्य	**16,79.09**	निरंक
प्रारंभिक रोकड़ शेष	**10,09.49**	**1,99.32**	अंतिम रोकड़ शेष	**(-) 52.99**	**10,09.49**
रोकड़ शेष में वृद्धि	निरंक	**8,10.17**	रोकड़ शेष में कमी	**10,62.48**	निरंक

9 'उचंत तथा विविध' में 'अन्य लेखे' यथा रोकड़ शेष निवेश लेखा **(मुख्य शीर्ष 8673)** इत्यादि सम्मिलित हैं। इन अन्य लेखाओं में आंकड़े वृहद रूप में परिलक्षित होते हैं। कृपया विस्तृत विवरण, विवरण संख्या 21 में देखें।

विवरण पत्रक संख्या 2 – जारी

विवरण पत्रक संख्या 2 का अनुलग्नक

रोकड़ शेषों और रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

सरकार की सम्पूर्ण रोकड़ स्थिति		31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
क– सामान्य रोकड़ शेष –			
(i) खजानों में रोकड़			
(ii) रिजर्व बैंक में जमा[क]	**मुख्य शीर्ष 8999**	(-) 52.99[ख][ग]	10,09.49[ख][ग]
(iii) अन्य बैंकों में जमा		निरंक	निरंक
(iv) स्थानीय प्रेषण		निरंक	निरंक
	योग	(-) 52.99	10,09.49
(v) रोकड़ शेष में किया गया निवेश	**मुख्य शीर्ष 8673**	1,06,28.22	94,85.24
	योग – क – सामान्य रोकड़ शेष	1,05,75.23	1,04,94.73
ख– अन्य रोकड़ शेष और निवेश –			
(vi) विभागीय रोकड़ शेष		1.18	0.94
(vii) स्थाई अग्रिम		0.83	0.84
(viii) उद्दिष्ट निधियों से निवेश		4,16.42	4,02.21
	योग – ख – अन्य रोकड़ शेष और निवेश	4,18.43	4,03.99
	योग – क + ख	**1,09,93.66**	**1,08,98.72**

व्याख्यात्मक टिप्पणी

(क) **<u>रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य</u> :** रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य के अन्तर्गत खजानों में रोकड़ तथा भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों में जमा तथा मार्गस्थ प्रेषण, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, सम्मिलित है। भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शीर्ष के अन्तर्गत शेष, वर्ष के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के संयुक्त शेष को दर्शाते हैं। रोकड़ की समग्र स्थिति पर पहुंचने के लिये खजानों, विभागों में रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष/आरक्षित निधियों इत्यादि से निवेश को ''रिजर्व बैंक में जमा'' के शेषों में जोड़ा जाता है।

[क] 15 अप्रैल, 2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित वित्तीय वर्ष 2016–17 से संबंधित ''रिजर्व बैंक में जमा'' शीर्ष के अंतर्गत शेष अंतर–सरकार मौद्रिक व्यवस्थापन को लेखे में शामिल करने के उपरांत है।

[ख] दिनांक 31.10.2000 को भारतीय रिजर्व बैंक तथा महालेखाकार की पुस्तकों में ₹ 0.27 करोड़ के अंतर को अनंतिम रूप से आवंटित मध्यप्रदेश ¼₹ 0.05 करोड़½ तथा छत्तीसगढ़ (₹ 0.22 करोड़) को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्तरवर्त्ती मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ के मध्य जनसंख्या अनुपात (485.7 : 176.2) में परिशोधित किया जाना है।

[ग] ''भारतीय रिजर्व बैंक में जमा'' के अंतर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 52.99 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 4,17.92 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में मार्च, 2017 के लेखे बंद होने पर ₹ 3]64.93 करोड़ (नामे) का अंतर था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेन्सी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारी को लेन–देनों को, लेखों में, गलत प्रतिवेदित करने के कारण है।

विवरण पत्रक संख्या 2 – जारी

अनुलग्नक – जारी

(ख) **दैनिक रोकड़ शेष** : रिजर्व बैंक के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार राज्य सरकार को बैंक में ₹ 1.96 करोड़ न्यूनतम शेष रखना होता है। यदि यह शेष राशि अनुबंध के अनुसार निश्चित न्यूनतम शेष राशि से किसी भी दिन कम होती है, उस कमी की पूर्ति समय–समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम, अधिविकर्षण लेकर की जाती है।

दैनिक रोकड़ शेष[क] बनाये रखने हेतु अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण को मंजूर करने के प्रयोजन से भारतीय रिजर्व बैंक उस दिन के लिये प्रतिवेदित लेन–देन (भारतीय रिजर्व बैंक काउण्टर पर, अंतर सरकार लेन–देन तथा खजाना लेन–देन एजेंसी बैंक द्वारा प्रतिवेदित) के साथ 14 दिवसीय कोषालय देयकों की धारिता का मूल्यांकन करता है। 14 दिवसीय कोषालय देयक की परिपक्वता पर यदि कोई हो, जो रोकड़ शेष प्राप्त होता है, उसे जोड़ा जाता है तथा आधिक्य शेष यदि कोई हो, न्यूनतम रोकड़ शेष को बनाये रखने के पश्चात उसे खजाना बिलों में पुनर्निवेशित किया जाता है। यदि निकाला गया निवल रोकड़ शेष न्यूनतम रोकड़ शेष से कम होता है या जमा अवशेष में आता है और यदि उस दिन कोई भी 14 दिवसीय कोषालय देयक परिपक्व नहीं हो रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक 14 दिवसीय कोषालय देयक की धारिता की कटौती करता है और कमी को पूरा कर दिया जाता है। यदि उस दिन 14 दिवसीय खजाना देयक की धारिता नहीं है, राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष के लिये आवेदन करती है।

वर्ष 2016–17 के दौरान अर्थोपाय एवं अग्रिम पर ब्याज की प्रभावी दरें निम्नानुसार थीं :–

अनु.क.	नामकरण	दर
1.	अर्थोपाय अग्रिम (साधारण)	
	(क) 90 दिन तक	रेपो दर
	(ख) 90 दिन से अधिक	रेपो दर + 1
2.	अर्थोपाय अग्रिम (विशेष)	रेपो दर – 1
3.	कमी	रेपो दर
4.	अधिविकर्षण	
	(क) अर्थोपाय अग्रिम (साधारण) के 100 प्रतिशत तक	रेपो दर + 2
	(ख) अर्थोपाय अग्रिम (साधारण) के 100 प्रतिशत से अधिक	रेपो दर

वर्ष 2016–17 के दौरान रेपोरेट 6.50 से 6.25 प्रतिशत तक परिवर्तनशील रही।

राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 2016–17 के दौरान न्यूनतम शेष राशि को बनाये रखने में कहां तक समर्थ थी, यह नीचे दर्शाया गया है :–

(i)	दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष बिना अग्रिम लिए बनाये रखा गया	365
(ii)	दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर बनाए रखा गया	निरंक
(iii)	दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेकर बनाए रखा गया	निरंक
(iv)	दिनों की संख्या, जब उपरोक्त अग्रिमों का उपयोग करने पर न्यूनतम शेष में कमी थी, किन्तु कोई अधिविकर्षण नहीं लिया गया	निरंक
(v)	दिनों की संख्या जब अधिविकर्षण लिया गया	निरंक

[क] उपरोक्त नकदी शेष (भारतीय रिजर्व बैंक में जमा) वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में संवरित नकदी शेष है परन्तु 15 अप्रैल को निकाला गया है तथा 31 मार्च का साधारण दैनिक शेष नहीं है।

विवरण पत्रक संख्या 2 — समाप्त

अनुलग्नक — समाप्त

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिमों तथा उन पर भुगतान किए गए ब्याज के संबंध में लेन—देनों का विस्तृत लेखा नीचे दिया गया है :—

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2016 को शेष	2016—17 के दौरान प्राप्त की गई राशि	2016—17 के दौरान चुकाई गई राशि	31 मार्च 2017 को शेष	2016—17 के दौरान भुगतान किया गया ब्याज
साधारण अर्थोपाय अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
विशेष अर्थोपाय अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
अधिविकर्षण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
योग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

31 मार्च 2017 को सामान्य रोकड़ शेष से किए गए निवेशों के ब्यौरे निम्न हैं :—

(₹ करोड़ में)

	प्रतिभूति का प्रकार	राशि
(1)	भारत सरकार के खजाना बिल	1,06,28.00
(2)	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	0.22
	योग	**1,06,28.22**

वर्ष के दौरान उपरोक्त निवेशों पर ₹ 4,26.89 करोड़ (अल्प अवधि की प्रतिभूतियों पर ₹ 4,26.87 करोड़ एवं दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों पर ₹ 0.02 करोड़) का ब्याज प्राप्त हुआ। जबकि 2015—16 के दौरान ₹ 2,50.71 करोड़ (अल्प अवधि की प्रतिभूतियों पर ₹ 2,50.69 करोड़ एवं दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों पर ₹ 0.02 करोड़) था।

टीप :— सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों के अंशों में किए गए निवेशों के ब्यौरे विवरण संख्या—8 एवं 19 में दिए गए हैं। उद्दिष्ट रक्षित निधियों से निवेशित राशियाँ विवरण संख्या—22 में दर्शाई गई हैं।

3 : प्राप्तियों का विवरण पत्रक (समेकित निधि)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2016–17	2015–16
I-	**कर एवं करेतर राजस्व**		
क	**कर राजस्व**		
क.1	**स्वयं का कर राजस्व**	**4,41,93.65**	**4,02,13.66**
	भू–राजस्व	4,06.65	2,76.86
	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	39,25.43	38,67.69
	राज्य उत्पाद शुल्क	75,32.59	79,22.84
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,25,61.12	1,98,06.15
	माल तथा यात्रीकर	38,05.04	30,84.76
	वाहन कर	22,51.51	19,33.57
	अन्य	37,11.31	33,21.79
क.2	**संघ करों एवं शुल्क के शुद्ध आगम का भाग**	**4,60,64.10**	**3,83,97.84**
	निगम कर	1,47,51.76	1,20,78.37
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	1,02,52.51	84,00.13
	आय एवं व्यय पर अन्य कर	--	0.24
	धन कर	33.78	2.74
	सीमा शुल्क	63,45.64	61,33.72
	संघ उत्पाद शुल्क	72,46.17	51,00.26
	सेवा कर	74,34.11	66,55.84
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0.13	26.54
	योग – क	**9,02,57.75**	**7,86,11.50**
ख	**करेतर राजस्व**		
	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	18,24.03	12,92.41
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	31,68.28	30,59.64
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	9,17.98	10,01.71
	लघु सिंचाई	3,36.25	3,26.74
	ब्याज प्राप्तियाँ	5,81.67	4,29.47
	विविध सामान्य सेवाएं	1,15.09	8,71.21
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,93.87	1,47.01
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1,67.04	1,21.04
	अन्य सामाजिक सेवाएं	1,38.43	1,05.90
	शहरी विकास	35.05	28.03
	मध्यम सिंचाई	2,02.76	97.04

विवरण पत्रक संख्या 3 – जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2016–17	2015–16
I-	**कर एवं करेतर राजस्व** – समाप्त		
ख	**करेतर राजस्व** – समाप्त		
	पुलिस	1,49.89	1,11.50
	लाभांश तथा लाभ	2,31.50	1,29.64
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	88.78	56.55
	लोक निर्माण कार्य	1,15.93	65.71
	मुख्य सिंचाई	35.35	59.11
	बिजली	3,57.88	1,90.09
	फसल कृषि–कर्म	48.38	57.20
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	19.54	68.63
	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली	46.53	42.51
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	13.30	20.95
	लोक सेवा आयोग	22.78	16.15
	आवास	27.63	26.95
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	27.93	23.51
	श्रम तथा रोजगार	26.18	19.40
	सहकारिता	12.89	10.75
	उद्योग	23.12	11.93
	जलपूर्ति तथा सफाई	31.15	1,33.52
	मछली पालन	6.70	7.20
	जेल	6.19	3.28
	पशुपालन	3.69	2.94
	ग्राम तथा लघु उद्योग	3.58	2.15
	अन्य कृषि कार्यक्रम	1.91	2.72
	सड़क तथा सेतु	2.70	5.08
	पर्यटन	89.18	20.64
	खाद्य, भंडारण तथा भाण्डागार	0.14	0.07
	परिवार कल्याण	0.10	0.13
	सूचना तथा प्रचार	0.25	0.20
	अन्य उद्योग	0.01	0.01
	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	12.82	निरंक
	पेट्रोलियम	0.01	0.01
	डेरी विकास	0.02	0.09
	योग – ख	**90,86.51**	**85,68.79**

विवरण पत्रक संख्या 3 –जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2016–17	2015–16
II	**भारत सरकार से सहायता अनुदान एवं अंशदान**		
ग	**केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान**		
	योजनेत्तर अनुदान	**54,72.39**	**39,90.10**
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान	1,20.61	22,08.80
	राज्य आपदा मोचन निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान	6,90.75	6,57.75
	राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से अनुदान	8,63.81	10,11.99
	अन्य अनुदान	37,97.22	1,11.56
	राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	**1,77,01.96**	**1,33,70.61**
	एक मुश्त (ब्लॉक) अनुदान (जिसमें से ई ए पी)	8,19.01	8,50.41
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान	44.00	1,48.45
	प्राकृतिक आपदा के कारण राहत के लिए अग्रिम आयोजना सहायता के रूप में अनुदान	निरंक	निरंक
	अन्य अनुदान	1,68,38.95	1,23,71.75
	केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	**2,56.90**	**3,59.00**
	केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	**5,31.28**	**6,10.60**
	योग – ग	**2,39,62.53**	**1,83,30.31**
	योग – राजस्व प्राप्तियाँ (क + ख + ग)	**12,33,06.79**	**10,55,10.60**

विवरण पत्रक संख्या 3 – समाप्त

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2016–17	2015–16
III	**पूंजी, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियाँ**		
घ	**विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ**		
	विनिवेश आगम	21.58	20.87
	अन्य	2.61	5.60
	योग – घ	**24.19**	**26.47**
ङ	**लोक ऋण प्राप्तियाँ**		
	आंतरिक ऋण	**2,85,80.74**	**1,86,59.18**
	बाजार ऋण	1,61,00.00	1,47,00.00
	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	99,62.49	20,75.46
	केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	25,18.25	18,83.72
	अन्य ऋण	निरंक	निरंक
	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	**12,66.67**	**13,26.12**
	योजनेतर ऋण	निरंक	निरंक
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनागत योजनाओं के लिये ऋण	12,66.67	13,26.12
	योग – ङ	**2,98,47.41**	**1,99,85.30**
च	**राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिम (वसूलियाँ)**[(क)]	**7,72.05**	**1,62.32**
छ	**अन्तर्राज्यीय परिशोधन**	**0.01**	**1.93**
	योग–समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)	**15,39,50.45**	**12,56,86.62**

(क) विस्तृत विवरण, खण्ड–I में विवरण संख्या–7 एवं खण्ड–II में विवरण संख्या 18 में दिये गए हैं।

4 : व्यय का विवरण पत्रक (समेकित निधि)

क. कार्य आधारित व्यय :–

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
क	**सामान्य सेवाएं**				
क.1	**राज्य के अंग**	**9,46.10**	**निरंक**	**निरंक**	**9.46.10**
	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	69.46	निरंक	निरंक	69.46
	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	8.44	निरंक	निरंक	8.44
	मंत्रिपरिषद	1,05.88	निरंक	निरंक	1,05.88
	न्याय प्रशासन	6,59.60	निरंक	निरंक	6,59.60
	निर्वाचन	1,02.72	निरंक	निरंक	1,02.72
क.2	**राजकोषीय सेवाएं**	**1,17,12.76**	**निरंक**	**निरंक**	**1,17,12.76**
	आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	0.07	निरंक	निरंक	0.07
	भू–राजस्व	5,18.03	निरंक	निरंक	5,18.03
	स्टाम्प तथा पंजीकरण	81.93	निरंक	निरंक	81.93
	राज्य उत्पाद शुल्क	14,70.20	निरंक	निरंक	14,70.20
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,60.72	निरंक	निरंक	1,60.72
	वाहन कर	63.71	निरंक	निरंक	63.71
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	3,36.69	निरंक	निरंक	3,36.69
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	1.92	निरंक	निरंक	1.92
	ब्याज अदायगियाँ	90,79.49	निरंक	निरंक	90,79.49
क.3	**प्रशासनिक सेवाएं**	**64,16.53**	**6,97.84**	**निरंक**	**71,14.37**
	लोक सेवा आयोग	39.07	निरंक	निरंक	39.07
	सचिवालय – सामान्य सेवाएं	1,67.93	निरंक	निरंक	1,67.93
	जिला प्रशासन	4,98.51	निरंक	निरंक	4,98.51
	खजाना तथा लेखा प्रशासन	1,22.58	निरंक	निरंक	1,22.58
	पुलिस	45,02.88	3,62.85	निरंक	48,65.73
	जेल	3,03.77	निरंक	निरंक	3,03.77
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	41.34	निरंक	निरंक	41.34
	लोक निर्माण–कार्य	4,28.84	3,30.07	निरंक	7,58.91
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	3,11.61	4.92	निरंक	3,16.53
क.4	**पेंषन तथा विविध सामान्य सेवाएं**	**88,27.73**	**निरंक**	**0.50**	**88,28.23**
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	87,93.16	निरंक	निरंक	87,93.16
	विविध सामान्य सेवाएं	34.57	निरंक	0.50	35.07
	योग–क–सामान्य सेवाएं	**2,79,03.12**	**6,97.84**	**0.50**	**2,86,01.46**

विवरण पत्रक संख्या 4 – जारी

क. कार्य आधारित व्यय – जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
ख	**सामाजिक सेवाएं**				
ख.1	**षिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति[(क)]**	**2,11,43.64**	**7,36.97**	**44.80**	**2,19,25.41**
	सामान्य शिक्षा	2,04,81.14	7,36.97	44.80	2,12,62.91
	तकनीकी शिक्षा	3,08.70	निरंक	निरंक	3,08.70
	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	1,70.53	निरंक	निरंक	1,70.53
	कला एवं संस्कृति	1,83.27	निरंक	निरंक	1,83.27
ख.2	**स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण**	**53,75.57**	**5,64.69**	**निरंक**	**59,40.26**
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	50,02.74	5,64.69	निरंक	55,67.43
	परिवार कल्याण	3,72.83	निरंक	निरंक	3,72.83
ख.3	**जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास**	**1,11,82.25**	**11,11.63**	**31.96**	**1,23,25.84**
	जलपूर्ति तथा सफाई	30,16.96	7,23.90	निरंक	37,40.86
	आवास	33,45.66	1,85.41	निरंक	35,31.07
	शहरी विकास	48,19.63	2,02.32	31.96	50,53.91
ख.4	**सूचना तथा प्रसारण**	**3,41.50**	**निरंक**	**निरंक**	**3,41.50**
	सूचना तथा प्रचार	3,41.50	निरंक	निरंक	3,41.50
ख.5	**अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण**	**30,95.05**	**5,49.83**	**निरंक**	**36,44.88**
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	30,95.05	5,49.83	निरंक	36,44.88
ख.6	**श्रमिक तथा श्रम कल्याण**	**2,90.53**	**निरंक**	**निरंक**	**2,90.53**
	श्रम तथा रोजगार	2,90.53	निरंक	निरंक	2,90.53
ख.7	**समाज कल्याण तथा पोषण**	**63,32.86**	**2,03.85**	**निरंक**	**65,36.71**
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	38,61.45	2,03.85	निरंक	40,65.30
	पोषण	13,74.44	निरंक	निरंक	13,74.44
	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	10,96.97	निरंक	निरंक	10,96.97
ख.8	**अन्य**	**1,81.03**	**1,18.19**	**निरंक**	**2,99.22**
	अन्य सामाजिक सेवाएं	1,54.97	1,18.19	निरंक	2,73.16
	सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	26.06	निरंक	निरंक	26.06
	योग–ख–सामाजिक सेवाएं	**4,79,42.43**	**32,85.16**	**76.76**	**5,13,04.35**

[(क)] पूंजीगत लेखा तथा ऋण और अग्रिम के अंतर्गत शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति नामक एकल मुख्य शीर्ष है।

विवरण पत्रक संख्या 4 –जारी

क. कार्य आधारित व्यय – जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
ग	**आर्थिक सेवाएं**				
ग.1	**कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप**	**1,03,11.12**	**6,93.30**	**11,87.06**	**1,21,91.48**
	फसल कृषि–कर्म	49,69.92	55.58	निरंक	50,25.50
	मृदा तथा जल संरक्षण	57.65	निरंक	निरंक	57.65
	पशुपालन	7,84.81	16.55	निरंक	8,01.36
	मछली पालन	66.45	0.20	निरंक	66.65
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	15,30.32	5,50.52	निरंक	20,80.84
	खाद्य, भंडारण तथा भाण्डागार	16,00.72	0.52	3,56.02	19,57.26
	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	2,07.78	निरंक	निरंक	2,07.78
	सहकारिता	10,93.47	69.93	8,31.04	19,94.44
ग.2	**ग्रामीण विकास**	**88,17.65**	**31,69.35**	**निरंक**	**1,19,87.00**
	ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	6,81.85	निरंक	निरंक	6,81.85
	ग्रामीण रोजगार	32,19.64	निरंक	निरंक	32,19.64
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	49,16.16	31,69.35	निरंक	80,85.51
ग.3	**सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण**	**6,87.61**	**84,70.50**	**निरंक**	**91,58.11**
	बृहद् सिंचाई	1,47.06	58,69.53	निरंक	60,16.59
	मध्यम सिंचाई	3,82.39	11,65.88	निरंक	15,48.27
	लघु सिंचाई	1,50.47	11,16.36	निरंक	12,66.83
	कमान क्षेत्र विकास	7.69	3,12.19	निरंक	3,19.88
	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी	निरंक	6.54	निरंक	6.54
ग.4	**ऊर्जा**	**1,24,76.20**	**46,66.56**	**31,62.56**	**2,03,05.32**
	विद्युत	1,24,74.04	46,66.56	31,62.56	2,03,03.16
	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2.16	निरंक	निरंक	2.16
ग.5	**उद्योग तथा खनिज**	**28,46,94**	**15,15.34**	**5,13.29**	**48,75.57**
	ग्राम तथा लघु उद्योग	2,85.23	14,70.56	2,48.29	20,04.08
	उद्योग	16,21.94	25.00	निरंक	16,46.94
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	9,39.77	1.78	निरंक	9,41.55
	अन्य उद्योग	निरंक	13.00	निरंक	13.00
	उद्योग तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	निरंक	5.00	निरंक	5.00
	पेट्रो केमिकल उद्योग	निरंक	निरंक	2,65.00	2,65.00
ग.6	**परिवहन**	**12,44.95**	**46,71.99**	**निरंक**	**59,16.94**
	नागर विमानन	निरंक	8.35	निरंक	8.35
	सड़क तथा सेतु	12,44.95	46,62.70	निरंक	59,07.65
		निरंक	0.94	निरंक	0.94

विवरण पत्रक संख्या 4 –जारी

क. कार्य आधारित व्यय – समाप्त

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
ग.7	**विज्ञान, प्रौद्यौगिकी तथा पर्यावरण**	**2,23.96**	**5.00**	**निरंक**	**2,28.96**
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2,23.96	5.00	निरंक	2,28.96
ग.8	**सामान्य आर्थिक सेवाएं**	**2,76.30**	**1,13.27**	**निरंक**	**3,89.57**
	सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	26.46	निरंक	निरंक	26.46
	पर्यटन	1,40.59	1,12.14	निरंक	2,52.73
	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	89.74	निरंक	निरंक	89.74
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	19.51	1.13	निरंक	20.64
	योग – ग – आर्थिक सेवाएं	**3,68,84.73**	**2,33,05.31**	**48,62.91**	**6,50,52.95**
घ	**सहायता अनुदान तथा अंषदान**				
	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	68,07.09	निरंक	निरंक	68,07.09
	योग–घ–सहायता अनुदान तथा अंशदान	**68,07.09**	**निरंक**	**निरंक**	**68,07.09**
ङ	**लोक ऋण**				
	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	निरंक	निरंक	39,07.83	39,07.83
	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	निरंक	निरंक	10,17.58	10,17.58
	योग–ङ– लोक ऋण	**निरंक**	**निरंक**	**49,25.41**	**49,25.41**
च	**कर्ज तथा उधार**				
	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि	निरंक	निरंक	0.10	0.10
	योग–च–कर्ज तथा उधार	**निरंक**	**निरंक**	**0.10**	**0.10**
	योग–ऋण, सहायता अनुदान तथा अंशदान	**68,07.09**	**निरंक**	**49,25.51**	**1,17,32.60**
छ	**अन्तर्राज्यीय परिषोधन**	**निरंक**	**निरंक**	**0.66**	**0.66**
ज	**आकस्मिकता निधि को विनियोग**	**निरंक**	**निरंक**	**निरंक**	**निरंक**
	योग – समेकित निधि के अंतर्गत व्यय	**11,95,37.37**	**2,72,88.31**	**98,66.34**	**15,66,92.02**

विवरण पत्रक संख्या 4 –जारी

ख : प्रकृति अनुसार व्यय

(₹ करोड़ में)

उद्देश्य शीर्ष	व्यय का उद्देश्य	2016-17			2015-16		
		राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व	पूंजीगत	योग
11	वेतन	1,99,51.48	2,34.25	2,01,85.73	1,91,66.43	2,23.80	1,93,90.23
12	मजदूरी	8,65.41	5,25.91	13,91.32	10,88.49	75.11	11,63.60
13	पेशन तथा पेंशन योग्य हितलाभ	85,17.92	निरंक	85,17.92	75,73.39	निरंक	75,73.39
14	पुरस्कार, पारितोषिक, सम्मान	8.79	निरंक	8.79	7.31	निरंक	7.31
15	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	3,44.02	निरंक	3,44.02	3,40.83	निरंक	3,40.83
16	वेतन, भत्ते – अखिल भारतीय सेवाएं	1,13.43	1.61	1,15.04	96.32	1.20	97.52
17	मंत्रियों के वेतन एवं भÙा	25.97	निरंक	25.97	23.57	निरंक	23.57
18	राज्यपाल, उच्च न्यायालय, न्यायालय, लोकायुक्त, अभिकरण, राज्य चुनाव एवं सूचना आयोग के वेतन एवं भत्ते	1,79.53	निरंक	1,79.53	1,66.26	निरंक	1,66.26
19	कार्यभारित / आकस्मिक कर्मचारियों का वेतन	9,43.91	89.48	10,33.39	9,59.78	65.98	10,25.76
21	यात्रा भत्ता	1,34.14	3.32	1,37.46	1,49.89	3.38	1,53.27
22	कार्यालय व्यय	8,33.26	11.93	8,45.19	7,23.03	4.05	7,27.08
23	वाहनों का क्रय	65.42	0.44	65.86	36.94	निरंक	36.94
24	परीक्षा तथा प्रशिक्षण	1,56.29	2.14	1,58.43	1,38.32	2.98	1,41.30
25	बिस्तरीय वस्त्र एवं शामियाना	2.34	निरंक	2.34	निरंक	निरंक	निरंक
26	परिसंवाद, कार्यशाला एवं सम्मेलन	20.28	निरंक	20.28	10.60	0.02	10.62
31	पेशेवर सेवाओं के लिये भुगतान	12,85.36	11.47	12,96.83	13,44.26	8.91	13,53.17
32	लघु निर्माण कार्य	73.23	10,23.57	10,96.80	2,24.70	9,25.09	11,49.79
33	अनुरक्षण	21,29.09(क)	52.76	21,81.85	16,31.71	43.22	16,74.93
34	सामग्री एवं आपूर्ति	36,81.02	83.17	37,64.19	37,89.22	32.69	38,21.91
35	विज्ञापन तथा प्रचार	3,29.76	0.26	3,30.02	1,64.59	निरंक	1,64.59
36	विशिष्ट व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर व्यय	1.57	निरंक	1.57	निरंक	निरंक	निरंक
37	मेला, उत्सव एवं प्रदर्शनी	43.79	निरंक	43.79	15.59	निरंक	15.59
41	शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति	18,03.98	0.01	18,03.99	18,72.63	0.02	18,72.65
42	सहायक अनुदान	4,49,10.41(ख)(ग)	2,03.02	4,51,13.43	3,63,36.60	3,71.09	3,67,07.69

(क) यह परिशिष्ट–X राज्य के अनुरक्षण व्यय का विवरण पत्रक के नीचे दर्शाए गए राजस्व अनुभाग के योग से नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहां लेखाओं में केवल निर्माण विभाग से संबंधित आंकड़े लिए गए हैं।

(ख) लघुशीर्ष 191, 192, 193, 196, 197 एवं 198 के अंतर्गत भुगतान सहायक अनुदान की राशि शामिल नहीं है।

(ग) विस्तृत शीर्ष 45–पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान की राशि छोड़ी गई है।

विवरण पत्रक संख्या 4 – समाप्त

ख : प्रकृति अनुसार व्यय – समाप्त

(₹ करोड़ में)

उद्देश्य शीर्ष	व्यय का उद्देश्य	2016-17			2015-16		
		राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व	पूंजीगत	योग
43	अंशदान	3,53.48	11.62	3,65.10	2,88.69	1,28.30	4,16.99
44	राजसहायता	1,65,12.02	निरंक	1,65,12.02	1,17,24.70	निरंक	1,17,24.70
45	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिये सहायक अनुदान	48,25.91	40.81	48,66.72	8,96.73	41.23	9,37.96
51	अन्य प्रभार	7,85.04	4,27.96	12,13.00	6,00.58	2,79.66	8,80.24
52	ब्याज/लाभांश का भुगतान	91,19.03	निरंक	91,19.03	81,40.34	निरंक	81,40.34
53	डिक्री धन का भुगतान	4.16	0.77	4.93	निरंक	निरंक	निरंक
54	क्षतिपूर्ति	2,67.70	0.06	2,67.76	2,03.93	निरंक	2,03.93
55	उचंत	2.03	निरंक	2.03	4.16	0.02	4.18
56	गुप्तचर सेवा व्यय	7.14	निरंक	7.14	7.74	निरंक	7.74
58	कर तथा स्वत्व शुल्क का भुगतान	82.32	निरंक	82.32	71.40	निरंक	71.40
59	मुद्रांक पत्रों के मुद्रण पर व्यय	11.13	निरंक	11.13	28.38	निरंक	28.38
61	सर्वेक्षण, जाँच तथा डिजाइन करना एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना	0.16	14.24	14.40	0.75	18.97	19.72
62	भूमि तथा भवन का क्रय	3.89	88.36	92.25	11.26	2,27.21	2,38.47
63	मशीनरी	4,51.81	8.16	4,59.97	3,29.28	22.13	3,51.41
64	बृहद् निर्माण कार्य	8.35	1,91,47.88	1,91,56.23	2.41	1,32,10.54	1,32,12.95
65	निवेश	निरंक	61,16.99	61,16.99	निरंक	6,72.93	6,72.93
67	ऋण एवं अग्रिम	8.49	11.94	20.43	निरंक	निरंक	निरंक
68	वार्षिक वृत्ति (एन्यूटी)	निरंक	5,50.00	5,50.00	निरंक	5,85.86	5,85.86
73	अंतर लेखा अंतरण	37,01.34	निरंक	37,01.34	26,70.20	निरंक	26,70.20
74	वसूलियाँ	(-) 30,27.05	(-) 13,73.82	(-) 44,00.87	(-) 10,78.59	(-) 1,09.29	(-) 11,87.88
	अन्य	0.02	निरंक	0.02	8.28	0.37	8.65
	योग	**11,95,37.37**	**2,72,88.31**	**14,68,25.68**	**9,97,70.70**	**1,68,35.47**	**11,66,06.17**

5 – प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2015–16 के दौरान व्यय	2015–16 तक का प्रगामी व्यय	2016–17 के दौरान व्यय	2016–17 तक का प्रगामी व्यय	*प्रतिशत* वृद्धि (+)/कमी (–)
क	**सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा –**					
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	1,89.72	6,26.07	3,62.85	9,88.92	91
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	1.51	4.25	निरंक	4.25	(-) 100
			10.11		**10.11**	
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3,34.12	17,64.75	3,30.07	20,94.82	(-) 1
			17.75		**17.75**	
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	23.86	1,02.07	4.92	1,06.99	(-) 79
			0.19		**0.19**	
	योग – क – सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा	5,49.21	24,97.14	6,97.84	31,94.98	27
			28.05		**28.05**	
ख	***सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –***					
	(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा –					
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	7,58.32	27,63.14	7,36.97	35,00.11	(-) 3
			3,59.25		**3,59.25**	
	योग – (क) – शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा	7,58.32	27,63.14	7,36.97	35,00.11	(-) 3
			3,59.25		**3,59.25**	
	(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा –					
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	2,26.06	17,90.95	5,64.70	23,55.65	150
			51.71		**51.71**	
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	26.09	निरंक	26.09	निरंक
			37.46		**37.46**	
	योग – (ख) – स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा	2,26.06	18,17.04	5,64.70	23,81.74	150
			89.17		**89.17**	
	(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा –					
4215	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	9,15.29	74,19.40	7,23.89	81,43.29	(-) 21
			11.58		**11.58**	
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	97.82	4,30.83	1,85.41	6,16.24	90
			1,27.35		**1,27.35**	
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	5,14.30	18,07.00	2,02.32	20,09.32	(-) 61
			34.64		**34.64**	
	योग – (ग) – जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा	15,27.41	96,57.23	11,11.62	1,07,68.85	(-) 27
			1,73.57		**1,73.57**	

टीप :–
1. इस विवरण पत्रक में मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य आवंटन किया जाना है।
2. शीर्ष अन्य कार्य ₹ एक करोड़ एवं कम लागत के (अब पुनरीक्षित सीमा ₹ पांच करोड़ एवं कम) से संबंधित शेषों का मध्यप्रदेश एवं छÙीसगढ़ के मध्य विभाजन करने के कारण दिनांक 01.04.2016 को शेष पुनरीक्षित किए गए हैं।

विवरण संख्या 5 – जारी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2015–16 के दौरान व्यय	2015–16 तक का प्रगामी व्यय	2016–17 के दौरान व्यय	2016–17 तक का प्रगामी व्यय	*प्रतिशत* वृद्धि (+)/कमी (–)
ख	*सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा – समाप्त*					
	(घ) सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा –					
4220	सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	0.16 **3.14**	निरंक	0.16 **3.14**	निरंक
	योग – (घ) – सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा	निरंक	0.16 **3.14**	निरंक	0.16 **3.14**	निरंक
	(ङ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा –					
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	4,09.21	37,69.40 **5,32.03**	5,49.83	43,19.23 **5,32.03**	34
	योग – (ङ) – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा	4,09.21	37,69.40 **5,32.03**	5,49.83	43,19.23 **5,32.03**	34
	(च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा –					
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	57.81	9,21.92 **2,30.12**	2,03.85	11,25.77 **2,30.12**	253
	योग – (च) – समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा	57.81	9,21.92 **2,30.12**	2,03.85	11,25.77 **2,30.12**	253
	(छ) अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा –					
4250	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	45.68	1,29.36 **13.98**	1,18.19	2,47.55 **13.98**	159
	योग – (छ) – अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा	45.68	1,29.36 **13.98**	1,18.19	2,47.55 **13.98**	159
	योग – ख – सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	30,24.49	1,90,58.25 **14,01.26**	32,85.16	2,23,43.41 **14,01.26**	9

विवरण संख्या 5 – जारी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2015–16 के दौरान व्यय	2015–16 तक का प्रगामी व्यय	2016–17 के दौरान व्यय	2016–17 तक का प्रगामी व्यय	*प्रतिशत* वृद्धि (+)/कमी (–)
ग	*आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –*					
	(क) कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप का पूंजीगत लेखा –					
4401	फसल कृषिकर्म पर पूंजीगत परिव्यय	13.22	5,05.49 **27.53**	55.58	5,61.07 **27.53**	320
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	1,04.40 **1,18.14**	निरंक	1,04.40 **1,18.14**	निरंक
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	34.67	92.68 **6.90**	16.55	1,09.23 **6.90**	(-) 52
4404	डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	0.98 **6.15**	निरंक	0.98 **6.15**	निरंक
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.07	10.86 **1.01**	0.20	11.06 **1.01**	186
4406	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय	46.26	4,32.11 **98.41**	5,50.52	9,82.63 **98.41**	1090
4408	खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	1,78.44 **79.87**	0.53	1,78.97 **79.87**	100
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	1.64 **0.35**	निरंक	1.64 **0.35**	निरंक
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	22.98	1,57.52 **3,32.52**	69.93	2,05.87[(क)] **3,32.52**	204
4435	अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	1.88 **8.36**	निरंक	1.88 **8.36**	निरंक
	योग – (क) – कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप का पूंजीगत लेखा	1,17.20	14,86.00 **6,79.24**	6,93.31	21,57.73[(क)] **6,79.24**	492
	(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा –					
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	24,18.78	1,07,93.13 **7,13.71**	31,69.35	1,39,62.48 **7,13.71**	31
	योग – (ख) – ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा	24,18.78	1,07,93.13 **7,13.71**	31,69.35	1,39,62.48 **7,13.71**	31

(क) वर्ष के अंत में अंतिम शेष में से पूंजी निवृत्ति/विनिवेश के कारण राशि ₹ 21.58 करोड़ की प्रोफार्मा कमी की गई।

विवरण संख्या 5 – जारी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2015–16 के दौरान व्यय	2015–16 तक का प्रगामी व्यय	2016–17 के दौरान व्यय	2016–17 तक का प्रगामी व्यय	*प्रतिशत* वृद्धि (+)/कमी (–)
ग	**आर्थिक सेवाओं के पूंजीगत लेखे** – जारी					
	(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा –					
4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	45,82.27	2,78,21.08 **2,86.13**	58,69.53	3,36,90.61 **2,86.13**	28
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	7,20.22	58,85.85 **8,89.49**	11,65.88	70,51.73 **8,89.49**	62
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	9,23.69	90,91.26 **10,92.57**	11,16.35	1,02,07.61 **10,92.57**	21
4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1,40.29	7,23.28 **0.40**	3,12.19	10,35.47 **0.40**	123
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6.24	1,13.48	6.54	1,20.02	5
	योग – (घ) – सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा	63,72.71	4,36,34.95 **22,68.59**	84,70.49	5,21,05.44 **22,68.59**	33
	(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा –					
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5,49.49	1,70,75.67[(क)] **81.63**[(क)]	46,66.56	2,17,42.23 **81.63**	749
4810	नवीन एवं नवकरणीय Åर्जा	0.20	0.20	निरंक	0.20	निरंक
	योग – (ङ) – ऊर्जा का पूंजीगत लेखा	5,49.69	1,70,75.87[(क)] **81.63**[(क)]	46,66.56	2,17,42.43 **81.63**	749
	(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा –					
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	2,07.87	8,71.37 **1,75.51**	14,70.56	23,41.93 **1,75.51**	607
4852	लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	20.00	20.00 **0.35**	25.00	45.00 **0.35**	25
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.98	11.67 **5.19**	1.78	13.45 **5.19**	82
4854	सीमेंट तथा धातु रहित खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	निरंक **0.03**	निरंक	निरंक **0.03**	निरंक
4858	इंजीनियरिंग उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	0.09 **0.05**	निरंक	0.09 **0.05**	निरंक
4860	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	निरंक **11.96**	निरंक	निरंक **11.96**	निरंक

[(क)] ₹ 2,31.15 करोड़ मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य प्रभाजित किये गये। इसमें ₹ 2,08.04 करोड़ मध्यप्रदेश को एवं ₹ 23.11 करोड़ छत्तीसगढ़ को आवंटित किये गये।

विवरण संख्या 5 – जारी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2015–16 के दौरान व्यय	2015–16 तक का प्रगामी व्यय	2016–17 के दौरान व्यय	2016–17 तक का प्रगामी व्यय	*प्रतिशत* वृद्धि (+)/कमी (–)
ग	**आर्थिक सेवाओं के पूंजीगत लेखे** – समाप्त					
	(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा – *समाप्त*					
4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	13.84	2,67.00	13.00	2,80.00	(-) 6
			44.46		**44.46**	
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	5.00	4,11.47	5.00	4,13.86[क]	निरंक
			41.49		**41.49**	
	योग – (च) – उद्योगों तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा	2,47.69	15,81.60	15,15.34	30,94.33[क]	512
			2,79.04		**2,79.04**	
	(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा –					
5053	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	13.67	3,64.01	8.35	3,72.36	(-) 39
			6.70		**6.70**	
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	33,63.37	2,40,49.59	46,62.70	2,87,12.29	39
			1,13.57		**1,13.57**	
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	6.50	0.94	7.44	निरंक
			1,41.66		**1,41.66**	
	योग – (छ) – परिवहन का पूंजीगत लेखा	33,77.04	2,44,20.10	46,71.99	2,90,92.09	38
			2,61.93		**2,61.93**	
	(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा –					
5425	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	1.30	1,05.44	5.00	1,10.44	285
	योग – (झ) – विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा	1.30	1,05.44	5.00	1,10.44	285
	(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा					
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	1,77.36	7,15.97	1,12.14	8,28.11	(-) 37
			26.87		**26.87**	
5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			0.04		**0.04**	
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	0.99	1.13	2.12	निरंक
			14.83		**14.83**	
	योग – (ञ) – सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	1,77.36	7,16.96	1,13.27	8,30.23	(-) 36
			41.74		**41.74**	
	योग – ग – आर्थिक सेवाओं के पूंजीगत लेखे	1,32,61.77	9,98,14.05[ख]	2,33,05.31	12,30,95.17[ग]	76
			43,25.88[ख]		**43,25.88**	
	महायोग	1,68,35.47	12,13,69.44[ख]	2,72,88.31	14,86,33.56[ग]	62
			57,55.19[ख]		**57,55.19**	

[क] पूंजी निवृत्ति/विनिवेश के कारण ₹ 2.61 करोड़ प्रोफार्मा कमी की गयी

[ख] ₹ 23.11 करोड़ मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य प्रभाजित किये गये। इसमे ₹ 2,08.04 करोड़, मध्यप्रदेश को एवं ₹ 23.11 करोड़ छत्तीसगढ़ को आवंटित किये गये।

[ग] मुख्यशीर्ष 4425–सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय तथा मुख्यशीर्ष 4885–उद्योग तथा खनिज पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत पाद टीप देखें।

विवरण संख्या 5 – समाप्त

व्याख्यात्मक टिप्पणी

1. वर्ष 2016–17 में सरकार ने ₹ 61,17.00[(क)] करोड़ (सांविधिक निगमों की अंशपूंजी में ₹ 4,71.45 करोड़, सरकारी कम्पनियों में ₹ 37,36.85 करोड़, तथा सहकारी संस्थाओं में ₹ 19,08.70 करोड़) अंश पूंजी विभिन्न प्रतिष्ठानों में निवेशित किए।

2. वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के अंत में सरकार का, विभिन्न प्रतिष्ठानों की अंश पूंजी में कुल निवल निवेश क्रमशः ₹ 1,65,99.57 करोड़ तथा ₹ 2,26,71.87 करोड़ था। वर्ष 2016–17 के अंत में कुल निवल निवेश में सम्मिश्र म.प्र.राज्य के अनावंटित शेषों से संबंधित ₹ 8,44.89 करोड़ शामिल है। ₹ 2,26,71.87 करोड़ के निवेश के विरूद्ध वर्ष 2016–17 में राज्य सरकार ने ₹ 2,31.50 करोड़ (निवेश का 1.02 *प्रतिशत*) लाभांश प्राप्त किया।

    अन्य ब्यौरे विवरण संख्या 19 में दिये गये हैं।

(क) निवल निवेश ₹ 60,95.42 करोड़ है (सकल निवेश ₹ 61,17.00 करोड़ एवं विनिवेश ₹ 21.58 करोड़)

6 – उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण पत्रक

लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों[क] का विवरण

(₹ करोड़ में)

उधार का प्रकार	1 अप्रैल, 2016 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31मार्च, 2017 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	निवल वृद्धि (+)/कमी (–) *प्रतिशत*	लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का *प्रतिशत*
(क) लोक ऋण –							
6003 – राज्य सरकार का आंतरिक ऋण –							
बाजार ऋण	5,61,40.65	1,61,00.00	15,49.01	7,06,91.64	1,45,50.99	25.92	45.37
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	3,30.56	73,60.00	94.32	75,96.24	72,65.68	21,97.99	4.88
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	70,65.88[ख]	26,02.49	10,12.22	86,56.15	15,90.27	22.51	5.55
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	2,01,81.34	25,18.25	12,52.28	2,14,47.31	12,65.97	6.27	13.77
योग – राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	8,37,18.43	2,85,80.74	39,07.83	10,83,91.34	2,46,72.91	29.47	69.57
6004 – केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम							
01 योजनेत्तर ऋण	39.16	निरंक	3.65	35.51	(-) 3.65	(-) 9.32	0.02
02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	1,36,26.97	12,66.67	10,13.93	1,38,79.71	2,52.74	1.85	8.91
03 केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
04 केन्द्र प्रवर्तित योजनागत योजनाओं के लिए ऋण[ग]	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
06 अर्थोपाय अग्रिमों के लिए ऋण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
07 1984–85 से पूर्व के ऋण	1.88	निरंक	निरंक	1.88	निरंक	निरंक	निरंक
योग – केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम	1,36,68.01	12,66.67	10,17.58	1,39,17.10	2,49.09	1.82	8.93
योग – (क) लोक ऋण	9,73,86.44	2,98,47.41	49,25.41	12,23,08.44	2,49,22.00	25.59	78.50

टीप :– इस विवरण पत्रक में मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य आवंटन किया जाना है।

[क] विस्तृत लेखा विवरण संख्या 17 और 21 में है।

[ख] पिछले वर्ष त्रुटिपूर्ण निकटतम राशि की गणना के कारण ₹ 0.01 करोड़ की कमी की गई।

[ग] ₹ 0.23 करोड़ का पुनर्भुगतान छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया जबकि राशि मध्यप्रदेश से संबंधित थी। समायोजन वर्ष 2017–18 में किया जावेगा।

विवरण संख्या 6 – जारी

लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण – जारी

(₹ करोड़ में)

उधार का प्रकार	1 अप्रैल, 2016 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31मार्च, 2017 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (–) राशि	निवल वृद्धि (+)/कमी (–) *प्रतिशत*	लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का *प्रतिशत*
¼ख½ अन्य दायित्व –							
लोक लेखा –							
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,31,19.04[(क)]	34,86.37	26,73.71	1,39,31.70	8,12.66	6.19	9.30
	5,61.49[(ख)]			**5,61.49**			
ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	6,68.00	27,96.80	27,96.80	6,68.00	निरंक	निरंक	0.50
	1,02.46			**1,02.46**			
बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	69,59.33	9,04.54	14,17.02	64,46.85	(-) 5,12.48	(-) 7.36	4.14
ब्याज वाली जमा	34.84	8.46	37.99	5.31	(-) 29.53	(-) 84.76	नगण्य
	(-) 2.38			**(-) 2.38**			
बिना ब्याज वाली जमा	83,13.36	2,70,61.99	2,35,97.10	1,17,78.25	34,64.89	41.68	7.56
योग – अन्य दायित्व	2,90,94.57	3,42,58.16	3,05,22.62	3,28,30.11	37,35.54	12.84	21.50
	6,61.57			**6,61.57**			
योग – लोक ऋण तथा अन्य दायित्व	12,64,81.01	6,41,05.57	3,54,48.03	15,51,38.55	2,86,57.54	22.66	100.00
	6,61.57			**6,61.57**			

विभिन्न बाजार ऋणों में अंशदान के बतौर प्राप्त राशि एवं निक्षेप शीर्ष में रही राशि वर्ष के अंत में (मुख्य शीर्ष 8449–अन्य जमा) निरंक थी।

राज्य विधान मण्डल ने संविधान के अनुच्छेद 293 के अधीन ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया है, जो उन सीमाओं को निर्धारित करता हो, जिनके अन्तर्गत सरकार राज्य की समेकित निधि की जमानत पर उधार ले सके।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण :– इसमें खुले बाजार से लिए गए दीर्घकालीन ऋण, स्रोत अन्तरों को पूरा करने के लिये अस्थाई रूप की उधारियां और सरकार द्वारा स्वशासी निकायों से प्राप्त किए गए ऋण सम्मिलित है।

खुले बाजार से ऋण :– सरकार द्वारा खुले बाजार से लिए गए वे समस्त ऋण जो बारह मास से अधिक समय तक चालू रहते हैं, इस ऋण श्रेणी के अन्तर्गत समूहीकृत किए जाते हैं।

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को सामान्य भविष्य निधि के प्रोफार्मा अंतरण के कारण ₹ 1.85 करोड़ की कमी की गई। राशि 01.11.2000 अर्थात राज्य के पुनर्गठन की तिथि से पूर्व की अवधि से संबंधित है। सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य अप्रभाजित शेषों का अंतिम प्रभाजन लम्बित है।

(ख) सरकार से कर्मचारीवार विवरण प्राप्त न होने के कारण अभी तक म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य अनुभाजित न होने वाले शेषों को दर्शाता है।

विवरण संख्या 6 – जारी

लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण – जारी

वर्ष के दौरान सरकार ने निम्नलिखित ऋण जारी किए :– ₹ 15,00.00 करोड़ (7.62 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2026), ₹ 10,00.00 करोड़ (7.57 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2026), ₹ 15,00.00 करोड़ (7.38 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2026), ₹ 10,00.00 करोड़ (7.16 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2026), ₹ 20,00.00 करोड़ (7.15 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2025), ₹ 20,00.00 करोड़ (7.23 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2026), ₹ 15,00.00 करोड़ (7.40 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2026), ₹ 10,00.00 करोड़ (7.19 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2027), ₹ 26,00.00 करोड़ (7.60 *प्रतिशत* म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2027) और ₹ 20,00.00 करोड़ (7.76 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण 2027) सममूल्य पर। कुल अभिदत्त राशि ₹ 1,61,00.00 करोड़ ¼रोकड़ ₹ 1,61,00.00 करोड़ तथा पुनर्भुगतान हेतु देय ऋण में परिवर्तन के कारण ₹ निरंक½ थी।

वर्ष 2016–17 के दौरान 5.90 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2017, 7.95 प्रतिशत मध्यप्रदेश सरकार स्टॉक 2016, 8.66 प्रतिशत मध्यप्रदेश सरकार स्टॉक 2016, 8.20 प्रतिशत मध्यप्रदेश सरकार स्टॉक 2017 और 8.40 प्रतिशत मध्यप्रदेश सरकार स्टॉक 2017 उन्मोचित हुये। वर्ष के अंत में इन ऋणों के विरुद्ध निरंक शेष छोड़ते हुये वर्ष के दौरान क्रमशः ₹ 1,29.01 करोड़, ₹ 3,00.00 करोड़, ₹ 3,00.00 करोड़, ₹ 3,50.00 करोड़, और ₹ 4,70.00 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया।

अल्प कालीन उधारियाँ :– इस श्रेणी के ऋण में बारह मासों के अन्दर प्रतिदेय पूर्णतः अस्थाई प्रकार की उधारियां, जैसे – भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित हैं।

वर्ष के आरंभ में अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत ₹ निरंक शेष थे। वर्ष के अंत में ₹ निरंक शेष छोड़ते हुए, वर्ष के दौरान कोई भी राशि प्राप्त तथा पुनर्भुगतान नहीं की गई। वर्ष के दौरान ब्याज का भी भुगतान नहीं किया गया।

विस्तृत ब्यौरे विवरण संख्या 17 में दिए गए हैं।

स्वायत्त निकायों से ऋण :– उधारियों की इस श्रेणी में विभिन्न स्वायत्त निकायों जैसे कि – भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, आवास और नगरीय विकास निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना मंडल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास मण्डल तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र से प्राप्त किये गए ऋण सम्मिलित हैं।

वर्ष के दौरान सरकार ने ऐसे निकायों से ₹ 99,62.49 करोड़ ऋण के रूप में प्राप्त किए और ₹ 11,06.54 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। 31 मार्च 2017 के अंत में इस प्रकार के ऋणों का बकाया शेष ₹ 1,62,52.40 करोड़ था। विभिन्न स्वायत्त निकायों से प्राप्त ऋणों पर सरकार ने ₹ 5,77.96 करोड़ ब्याज के रूप में भुगतान किये।

स्वायत्त निकायों से प्राप्त ऋणों के पूर्ण ब्यौरे विवरण संख्या 17 के अनुलग्नक में दिए गए हैं।

परिशोधन हेतु व्यवस्था :– राज्य सरकार का दृष्टिकोण है कि उस स्थिति के अलावा जहां ऐसा करना अनिवार्य हो, भारत सरकार से प्राप्त ऋणों के परिशोधन हेतु व्यवस्था, जहां ऐसी परिशोधन व्यवस्था के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त राजस्व स्रोत उपलब्ध हों, केवल राजस्व से करनी चाहिए। वहाँ ऐसे किसी भी ऋण के लिए परिशोधन हेतु व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा है।

लघु बचत निधियों से ऋण :– 'लघु बचत योजना' तथा 'लोक भविष्य निधि' का डाकखानों में संग्रहण से ऋण, को राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के मध्य 3 : 1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। लघु बचत संग्रहण से ऋण जारी करने के प्रयोजन से 1999–2000 में एक पृथक निधि अर्थात 'राष्ट्रीय लघु बचत निधि' निर्मित की गई थी। वर्ष 2016–17 के दौरान ₹ 25,18.25 करोड़ के ऋण प्राप्त किये गए तथा वर्ष के दौरान ₹ 12,52.28 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। वर्ष के अंत में ₹ 2,14,47.31 करोड़ शेष बकाया था, जो कि 31 मार्च 2017 को राज्य सरकार के कुल **लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों** का 13.77 *प्रतिशत* था।

भारत सरकार से ऋण :– 31 मार्च 2017 को भारत सरकार से प्राप्त ऋण कुल लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का 8.93 *प्रतिशत* था।

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से लिये गए ऋणों के ब्यौरे विवरण संख्या 17 में दिये गए हैं।

वर्ष के दौरान भारत सरकार से ऋण के रूप में ₹ 12,66.67 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने वर्ष 2016–17 के दौरान कर्ज के पुनर्भुगतान में ₹ 10,17.58 करोड़ का भुगतान तथा ब्याज के ₹ 6,42.24 करोड़ का भुगतान किया।

पुनर्वास ऋण :– विस्थापित तथा वापस लौटे इत्यादि व्यक्तियों के 'पुनर्वास' के लिए ऋणों के प्रकरण में, 1974 से पूर्व के ऋण तथा 1974–75 से 1983–84 के वर्षों के दौरान प्राप्त पुनः ऋण माफ किये गए तथा 31 मार्च 1989 को शेष को भारत सरकार के आदेशों के अधीन अपलिखित किया जाना है।

विवरण संख्या 6 – समाप्त

लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण – समाप्त

ऋण सेवा

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज :– बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्वों तथा 2015–16 तथा 2016–17 के दौरान उनके लिए राजस्व से पूरे किए गए ब्याज प्रभारों की निवल राशियाँ नीचे दर्शाई गई हैं :–

(₹ करोड़ में)

			2016-17	2015-16	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (–)
(i)	वर्ष के अंत में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व –				
	(क) लोक ऋण और अल्प बचत, भविष्य निधियां आदि		13,68,01.64	11,10,68.82	2,57,32.82
	(ख) अन्य दायित्व		1,89,98.49	1,60,75.61	29,22.88
		योग – (i)	15,58,00.13	12,71,44.43	2,86,55.70
(ii)	सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज –				
	(क) लोक ऋण और अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर		89,47.91	79,76.11	9,71.80
	(ख) अन्य दायित्वों		1,17.14	1,14.77	2.37
		योग – (ii)	90,65.05	80,90.88	9,74.17
(iii)	घटाएं –				
	(क) सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज		61.99	1,38.66	(-) 76.67
	(ख) रोकड़ शेषों के निवेश पर प्राप्त ब्याज		4,26.89	2,50.71	1,76.18
		योग – (iii)	4,88.88	3,89.37	99.51
(iv)	निवल ब्याज प्रभार (ii) – (iii)		85,76.17	77,01.51	8,74.66
(v)	कुल राजस्व प्राप्तियों से सकल ब्याज (मद (ii)) की प्रतिशतता		7.35	7.67	(-) 0.32
(vi)	कुल राजस्व प्राप्तियों से निवल ब्याज (मद (iv)) की प्रतिशतता		6.96	7.30	(-) 0.34

इसके अतिरिक्त कतिपय अन्य प्राप्तियाँ तथा कुल समायोजन ₹ 92.78 करोड़ थी जैसे – बकाया राजस्व पर ब्याज एवं विविध लेखा पर ब्याज। वर्ष के दौरान सरकार को विभिन्न उपक्रमों आदि में निवेश से लाभांश के रूप में ₹ 2,31.50 करोड़ प्राप्त हुए।

7 – सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिमों का विवरण पत्रक

अनुभाग – 1 ऋणों और अग्रिमों का सार : ऋणी समूहवार

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	1 अप्रैल 2016 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गए अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2017 को शेष (2+3)–(4+5)	वर्ष के दौरान कुल वृद्धि/कमी (6–2)	ब्याज भुगतान की बकाया राशि[क]
1	2	3	4	5	6	7	8
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान	76.81	44.80	0.39	निरंक	1,21.22	44.41	–
नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम	2,09.46	31.96	48.85	निरंक	1,92.57	(-) 16.89	–
शहरी विकास प्राधिकरण	16,42.83	निरंक	निरंक	निरंक	16,42.83	निरंक	–
गृह निर्माण मण्डल	54.26	निरंक	0.14	निरंक	54.12	(-) 0.14	–
	1,67.97				**1,67.97**		
राज्य गृह निर्माण निगम	0.51	निरंक	निरंक	निरंक	0.51	निरंक	–
पंचायती राज संस्थान	0.77	निरंक	निरंक	निरंक	0.77	निरंक	–
सरकारी कंपनियां	3,06,85.42	31,62.56	2,08.00	निरंक	3,36,39.98	29,54.56	–
	16,44.12				**16,44.12**		
सहकारी समितियां/सहकारी निगम/बैंक	12,00.24	8,31.04	4,77.96	निरंक	15,53.32	3,53.08	–
	98.75				**98.75**		
अन्य	48,19.16	8,69.81	44.04	निरंक	56,44.93	8,25.77	–
	2,08.48				**2,08.48**		
शासकीय कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	(-) 38.27	0.10	(-) 7.33[ख]	निरंक	(-) 30.84[ग]	7.43	–
	56.73[घ]				**56.73**		
विविध प्रयोजन हेतु ऋण	0.04	निरंक	निरंक	निरंक	0.04	निरंक	–
योग – ऋण और अग्रिम	3,86,51.23	49,40.27	7,72.05	निरंक	4,28,19.45	41,68.22	–
	21,76.05[घ]				**21,76.05**		

टीप :– इस विवरण में मोटे अंक म.प्र.में रोके गये शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र.एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन होना है।

(क) राज्य शासन से जानकारी प्रतीक्षित है।

(ख) ऋणात्मक आंकड़े ब्याज की राशि के मुख्यशीर्ष 0049 में स्थानान्तरित करने के कारण उत्पन्न हुई है। जो मुख्यशीर्ष 7610 में त्रुटिपूर्ण वर्गीकृत हुई थी।

(ग) ऋणात्मक शेष, शेषों के अप्रभाजन तथा ब्याज की राशि को मुख्यशीर्ष 7610 के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण रूप से वर्गीकृत करने के कारण है।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य के प्रोफार्मा अंतरण के कारण ₹ 10.21 करोड़ की कमी की गई। यह राशि दिनांक 01.11.2000 अर्थात राज्य के पुनर्गठन की तिथि से पूर्व की अवधि से संबंधित है। ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य अप्रभाजित शेषों का अंतिम प्रभाजन लम्बित है।

विवरण संख्या 7 – समाप्त

निरन्तर ऋण के रूप में स्वीकृत ऋणों के प्रकरण निम्नानुसार हैं :–

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	ऋणी इकाई	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति आदेश क्रमांक	राशि	ब्याज की दर
1	2	3	4	5	6
1.	मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर	2016-17	एफ-5-6/2015/13 एफ-5-4/2012/13	6,56.11	वर्ष 2018 से भारतीय स्टेट बैंक के आधार दर के बराबर
2.	मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इंदौर	2016-17	एफ-5-6/2015/13 एफ-5-4/2012/13	5,08.88	वर्ष 2018 से भारतीय स्टेट बैंक के आधार दर के बराबर
3.	मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इंदौर	2016-17	एफ-5-6/2015/13 एफ-5-4/2012/13	6,54.82	वर्ष 2018 से भारतीय स्टेट बैंक के आधार दर के बराबर

अनुभाग – 2 ऋणों और अग्रिमों का सार : क्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	1 अप्रैल 2016 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गए अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2017 को शेष (2+3)–(4+5)	वर्ष के दौरान कुल वृद्धि/ कमी (6–2)	ब्याज भुगतान की बकाया राशि[क]
1	2	3	4	5	6	7	8
सामान्य सेवायें	10,91.79	0.50	1.94	निरंक	10,90.35	(-) 1.44	–
सामाजिक सेवायें	20,67.78	76.76	49.78	निरंक	20,94.76	26.98	–
	1,68.56				**1,68.56**		
आर्थिक सेवायें	3,55,29.89	48,62.91	7,27.66	निरंक	3,96,65.14	41,35.25	–
	19,50.76				**19,50.76**		
शासकीय कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	(-) 38.27	0.10	(-) 7.33[ख]	निरंक	(-) 30.84[ग]	7.43	–
	56.73[घ]				**56.73**		
विविध प्रयोजनों के लिये कर्जे	0.04	निरंक	निरंक	निरंक	0.04	निरंक	–
योग – ऋण और अग्रिम	3,86,51.23	49,40.27	7,72.05	निरंक	4,28,19.45	41,68.22	–
	21,76.05[घ]				**21,76.05**		

टीप :– विस्तृत विवरण के लिए अनुभाग एक के विवरण पत्रक संख्या 18 राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिमों के विस्तृत विवरण का संदर्भ लें।

अनुभाग – 3 ऋणी इकाईयों से बकाया पुनर्भुगतान का सार[क] : **(₹ करोड़ में)**

ऋणी इकाईयां	दिनांक 31 मार्च 2017 को बकाया राशि			सबसे पूर्व का वर्ष जिससे बकाया राशि सम्बन्धित है	इकाई के विरूद्ध दिनांक 31 मार्च 2017 को ऋण की बकाया राशि
	मूलधन	ब्याज	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
–	–	–	–	–	–

टीप :– विस्तृत विवरण के लिए राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों के विस्तृत विवरण के अनुभाग–2 का संदर्भ लें।

(क) राज्य शासन से जानकारी प्रतीक्षित है।

(ख) ऋणात्मक राशि मुख्यशीर्ष 0049–ब्याज का अंतरण मुख्यशीर्ष 7610 के अंतर्गत गलत वर्गीकरण के कारण है।

(ग) मुख्यशीर्ष 7610 के अंतर्गत ब्याज के गलत वर्गीकरण तथा शेषों के अनुभाजन न होने के कारण ऋणात्मक शेष है।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण ₹ 10.21 करोड़ की कमी की गई। यह राशि राज्य के पुनर्गठन दिनांक 01.11.2000 से पूर्व की है। मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत अनावंटित शेषों का अंतिम प्रभाजन लंबित है।

8 – सरकार के निवेशों का विवरण पत्रक

सरकार का विभिन्न संस्थानों की अंश पूंजी तथा ऋण–पत्रों में 2015–16 तथा 2016–17 में निवेश का तुलनात्मक सारांश

(₹ करोड़ में)

		2016-17			2015-16		
	संस्थान का नाम	संस्थानों की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज	संस्थानों की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज
1	सांविधिक निगम	26	1,03,16.45 **1,79.85**(क)	1,99.87	26	96,36.96 **4,11.00**	1,13.82
2	सरकारी कंपनियां	35	94,23.12 **1,80.49**	31.08	35	56,86.40 **1,80.49**	15.74
3	संयुक्त पूंजी कंपनियाँ और साझेदारियाँ	23	0.11 **1.54**	निरंक	23	0.11 **1.54**	0.02
4	बैंक	01	निरंक **निरंक**(ख)	निरंक	01	निरंक **निरंक**	निरंक
5	सहकारिताए¡	133	20,87.30 **4,83.01**	0.55	130	2,00.06 **4,83.01**	0.06
	योग	218	2,18,26.98 **8,44.89**(क)	2,31.50	215	1,55,23.53 **10,76.04**	1,29.64

टीप :– इस विवरण पत्रक में मोटे अंक एकीकृत मध्यप्रदेश राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य आवंटन किया जाना है।

(क) ₹ 2,31.15 करोड़ का मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के मध्य प्रभाजन किया गया, इसमें से ₹ 2,08.04 करोड़ मध्यप्रदेश को तथा ₹ 23.11 करोड़ छत्तीसगढ़ को आवंटित किए गए। मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच निवेश के अंतर्गत अनावंटित शेषों का अंतिम प्रभाजन लंबित है।

(ख) ₹ 0.16 लाख एकीकृत राज्य मध्यप्रदेश का शेष है जिसे उक्त दर्शाए गए स.क्र.4(बैंक) के विरुद्ध परिलक्षित नहीं किया गया है क्योंकि इस विवरण पत्रक में राशियां करोड़ में परिलक्षित हैं।

9 – सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण पत्रक

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋण आदि के पुनर्भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दी गई प्रत्याभूतियां एवं दिनांक 31 मार्च 2017 को विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत बकाया प्रत्याभूतियों का विवरण नीचे दर्शाया गया है :–

<u>प्रतिभूतियों का क्षेत्रवार विवरण</u>

¼₹ करोड़ में)

क्षेत्र (कोष्ठक के अन्तर्गत प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष 2016–17 के दौरान अधिकतम प्रत्याभूतित राशि	01.04.2016 की स्थिति में प्रारम्भ में बकाया (मूल+ब्याज)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (प्रदत्त प्रत्याभूतियों को छोड़कर)	वर्ष के दौरान प्रदत्त		31.03.2016 की स्थिति में बकाया (मूल+ब्याज)	प्रत्याभूति कमीशन अथवा शुल्क		अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					उन्मोचित	उन्मोचित न की गई		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विद्युत (61)	1,70,48.13 **7,62.39**	50,26.98	62,57.45	11,98.38	निरंक	निरंक	1,00,86.05	1,22.18	11.54	निरंक
सहकारिता (12)	48,97.00	29,00.02	1,14.02	निरंक	निरंक	निरंक	30,14.04	42.90	निरंक	निरंक
राज्य वित्तीय निगम (16)	9,20.00	8,81.07	1,22.49	2,20.01	निरंक	निरंक	7,83.55	2.50	निरंक	निरंक
शहरी विकास एवं आवास (462)	64,79.87 **70.11**	14,06.10	80,26.87	1,00.74	निरंक	निरंक	93,32.23	38.88	62.70	निरंक
अन्य (96)	1,01,77.75 **39.50**	1,73,16.23	92,24.14	1,63,59.44	निरंक	निरंक	1,01,80.93	0.22	निरंक	निरंक
योग (647)	3,95,22.75 **8,72.00**	2,75,30.40	2,37,44.97	1,78,78.57	निरंक	निरंक	3,33,96.80	2,06.68	74.24	निरंक

टीप :– इस विवरण पत्रक में मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य आवंटन किया जाना है।

10 – सरकार द्वारा दिये गए सहायता अनुदानों का विवरण पत्रक

1. वर्ष 2016–17 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में कुल विमुक्त निधियों एवं परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु आवंटित निधियों का विवरण :–

(₹ करोड़ में)

अनुदान ग्रहीता का नाम/श्रेणी	सहायता अनुदान के रूप में विमुक्त कुल निधि			स्तम्भ क्र.2 के अंतर्गत विमुक्त कुल निधि में से परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु आवंटित निधि		
(1)	(2)			(3)		
	आयोजना	योजनेत्तर	योग	आयोजना	योजनेत्तर	योग
शहरी स्थानीय निकाय (नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर पंचायत)	27,34.87	54,59.18	81,94.05	3,33.57	निरंक	3,33.57
पंचायती राज संस्थान (जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत)	1,25,68.73	42,39.16	1,68,07.89	निरंक	निरंक	निरंक
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सरकारी कम्पनियां, सांविधिक कम्पनियां)	91.50	निरंक	91.50	निरंक	निरंक	निरंक
अशासकीय संगठन	16,34.43	8,63.97	24,98.40	निरंक	निरंक	निरंक
स्वायत्त निकाय (विश्वविद्यालय, विकास अभिकरण, निगम, संस्थाएं, अन्य)	40,00.00	62,41.06	1,02,41.06	निरंक	निरंक	निरंक
सहकारी समितियां एवं सहकारी संस्थाएं	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
अन्य	1,01,78.96	19,68.29	1,21,47.25	45,32.99	0.15	45,33.14
योग	3,12,08.49	1,87,71.66	4,99,80.15	48,66.56	0.15	48,66.71

2. वस्तुरूप में सहायता अनुदान एवं पूंजीगत प्रकृति की परिसम्पत्तियों के वस्तु के रूप में सहायता अनुदान के कुल मूल्य का विवरण :–

¼₹ करोड़ में½

अनुदान ग्रहीता का नाम/श्रेणी	वस्तुरूप में सहायता अनुदान का कुल मूल्य	पूंजीगत प्रकृति की परिसम्पत्तियां के रूप में सहायता अनुदान का कुल मूल्य
(1)	(2)	(3)
निरंक	निरंक	निरंक

11 – दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

विवरण	वास्तविक					
	2016–17			2015–16		
	प्रभारित	दत्तमत	योग	प्रभारित	दत्तमत	योग
व्यय शीर्ष ¼राजस्व लेखा½	*1,04,76.28*	10,90,61.09	11,95,37.37	*96,06.96*	9,01,63.74	9,97,70.70
व्यय शीर्ष ¼पूंजीगत लेखा½	*30.33*	2,72,57.98	2,72,88.31	*58.39*	1,67,77.08	1,68,35.47
लोक ऋण, ऋण तथा अग्रिम, अंतर्राज्यीय परिशोधन तथा आकस्मिकता निधि को अंतरण ds vUrxZr laforj.k ¼d½	*49,25.41*	49,40.93	98,66.34	*48,60.36*	31,59.85	80,20.21
योग	***1,54,32.02***	**14,12,60.00**	**15,66,92.02**	***1,45,25.71***	**11,01,00.67**	**12,46,26.38**
(क½ & ये आंकड़े इस प्रकार निकाले गये हैं :–						
¼ङ½ लोक ऋण –						
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	*39,07.83*[क]	निरंक	39,07.83	*39,48.42*	निरंक	39,48.42
केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	*10,17.58*[क]	निरंक	10,17.58	*9,11.94*	निरंक	9,11.94
¼च½ ऋण तथा उधार[ख] –						
सामान्य सेवाओं के लिये ऋण	निरंक	0.50	0.50	निरंक	13.45	13.45
सामाजिक सेवाओं के लिये ऋण	निरंक	76.76	76.76	निरंक	33.56	33.56
आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण	निरंक	48,62.91	48,62.91	निरंक	31,10.90	31,10.90
सरकारी कर्मचारियों को ऋण	निरंक	0.10	0.10	निरंक	निरंक	निरंक
विविध प्रयोजन हेतु ऋण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
¼छ½ अंतर्राज्यीय परिशोधन –						
अंतर्राज्यीय परिशोधन	निरंक	0.66	0.66	निरंक	1.94	1.94
¼ज½ आकस्मिकता निधि को अंतरण –						
आकस्मिकता निधि को अंतरण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
योग	***49,25.41***	**49,40.93**	**98,66.34**	***48,60.36***	**31,59.85**	**80,20.21**

वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के दौरान प्रभारित व्यय तथा दत्तमत व्यय का कुल व्यय से *प्रतिशत* निम्नानुसार था :–

वर्ष	कुल व्यय का *प्रतिशत*	
	प्रभारित	दत्तमत
2015-16	*11.66*	88.34
2016-17	*9.85*	90.15

(क) यद्यपि **मुख्यशीर्ष 6003 तथा 6004** के अंतर्गत व्यय, प्रभारित व्यय है। इसको छोड़कर, अन्य संबंधित विवरण पत्रकों में तदनुसार यह नहीं दर्शाया गया है।

(ख) विस्तृत ब्यौरेवार लेखे विवरण सं. 18 में दिये गए हैं।

12 – राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिये निधियों के स्त्रोतों और अनुप्रयोगों का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2016 को	वर्ष 2016–17 के दौरान	31 मार्च 2017 को
पूंजीगत तथा अन्य व्यय			
पूंजीगत व्यय (उप–क्षेत्र वार)			
सामान्य सेवाएं	24,97.14	6,97.84	31,94.98
	28.05		**28.05**
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	27,63.14	7,36.97	35,00.11
	3,59.25		**3,59.25**
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	18,17.04	5,64.70	23,81.74
	89.17		**89.17**
जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	96,57.24	11,11.62	1,07,68.86
	1,73.57		**1,73.57**
सूचना एवं प्रसारण	0.16	निरंक	0.16
	3.14		**3.14**
अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	37,69.40	5,49.83	43,19.23
	5,32.03		**5,32.03**
समाज कल्याण तथा पोषण	9,21.92	2,03.85	11,25.77
	2,30.12		**2,30.12**
अन्य सामाजिक सेवाएं	1,29.36	1,18.19	2,47.55
	13.98		**13.98**
कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप	14,86.00	6,93.31	21,57.73(क)
	6,79.24		**6,79.24**
ग्रामीण विकास	1,07,93.13	31,69.35	1,39,62.48
	7,13.71		**7,13.71**
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	4,36,34.95	84,70.49	5,21,05.44
	22,68.59		**22,68.59**
ऊर्जा	1,70,75.87(ख)	46,66.56	2,17,42.43
	81.63(ख)		**81.63**
उद्योग तथा खनिज	15,81.60	15,15.34	30,94.33(ग)
	2,79.04		**2,79.04**

टीपः– इस विवरण पत्रक में मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य आवंटन किया जाना है।

(क) पूंजी निवृत्ति/विनिवेश के कारण वर्ष के अंत में अंतशेष से राशि ₹ 21.58 करोड़ की प्रोफार्मा कमी की गई।

(ख) ₹ 2,31.15 करोड़ का मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के मध्य प्रभाजन किया गया, इसमें से ₹ 2,08.04 करोड़ मध्यप्रदेश को तथा ₹ 23.11 करोड़ छत्तीसगढ़ को आवंटित किए गए।

(ग) पूंजी निवृत्ति/विनिवेश के कारण वर्ष के अंत में अंतशेष से राशि ₹ 2.61 करोड़ की प्रोफार्मा कमी की गई।

विवरण संख्या 12 – जारी

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2016 को	वर्ष 2016–17 के दौरान	31 मार्च 2017 को
पूंजीगत तथा अन्य व्यय – जारी ***पूंजीगत व्यय (उप–क्षेत्र वार) – समाप्त***			
परिवहन	2,44,20.10 **2,62.04**(क)	46,71.99	2,90,92.09 **2,62.04**
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	1,05.44	5.00	1,10.44
सामान्य आर्थिक सेवाएं	7,16.96 **41.74**	1,13.27	8,30.23 **41.74**
योग–पूंजीगत व्यय	12,13,69.45 **57,55.30**(क)	2,72,88.31	14,86,33.57(ख) **57,55.30**(ख)
ऋण एवं अग्रिम			
विभिन्न सेवाओं के लिये ऋण एवं अग्रिम–			
सामाजिक सेवायें			
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति,	75.15	44.41	1,19.56
जलपूर्ति,सफाई, आवास तथा शहरी विकास	19,41.11 **1,67.98**	(-) 17.04	19,24.07 **1,67.98**
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	43.14 **0.58**	(-) 0.39	42.75 **0.58**
समाज कल्याण तथा पोषण	3.02	निरंक	3.02
अन्य (सामान्य एवं सामाजिक सेवायें)	10,97.16	(-) 1.45	10,95.71
आर्थिक सेवायें			
कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	17,62.75 **81.92**	6,80.32	24,43.07 **81.92**

(क) आरक्षित निधियों से अंशदान के ₹ 10.42 लाख अगले पृष्ठ पर ''घटाएं'' के अंतर्गत दर्शित है।

(ख) पिछले पृष्ठ पर पाद टीप (क), (ख) और (ग) देखें।

विवरण संख्या 12 – जारी

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2016 को	वर्ष 2016–17 के दौरान	31 मार्च 2017 को
पूंजीगत तथा अन्य व्यय–समाप्त **ऋण एवं अग्रिम** – समाप्त **विभिन्न सेवाओं के लिये ऋण एवं अग्रिम** – समाप्त			
ग्रामीण विकास	1.59	निरंक	1.59
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	14.78	निरंक	14.78
ऊर्जा	3,21,90.58 **18,19.17**	29,54.56	3,51,45.14 **18,19.17**
उद्योग तथा खनिज	15,05.36 **26.37**	5,00.37	20,05.73 **26.37**
परिवहन	54.82 **23.18**	निरंक	54.82 **23.18**
सामान्य आर्थिक सेवाएं	**0.12**	निरंक	**0.12**
शासकीय कर्मचारियों को ऋण	(-) 38.27 **56.73**	7.43	(-) 30.84[(क)] **56.73**
विविध प्रयोजन हेतु ऋण	0.04	निरंक	0.04
योग–ऋण एवं अग्रिम	3,86,51.23 **21,76.05**	41,68.21	4,28,19.44 **21,76.05**
योग–पूंजीगत तथा अन्य व्यय	16,00,20.68 **79,31.35**[(ग)]	3,14,56.52	19,14,53.01[(ख)] **79,31.35**
घटाएं			
आकस्मिकता निधि से अंशदान	निरंक	निरंक	निरंक
विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अंशदान[(घ)]	5,76.77	24.19	6,00.96
विकास निधियों, आरक्षित निधियों आदि से अंशदान	**0.10**		**0.10**
शुद्ध–पूंजीगत तथा अन्य व्यय	15,94,43.91[(ङ)] **79,31.25**[(ङ)]	3,14,32.33	19,08,52.05 **79,31.25**

(क) शेषों का प्रभाजन न होने तथा मुख्यशीर्ष 7610 के अंतर्गत गलत वर्गीकरण के कारण ऋणात्मक शेष है, जो कि पुनर्मिलान के अंतर्गत है।

(ख) पिछले पृष्ठ पर पाद टीप (ख) देखें।

(ग) पिछले पृष्ठ पर पाद टीप (क) देखें।

(घ) विनिवेश की प्राप्तियाँ/पूंजी की निवृत्ति।

(ङ) ₹ 2,31.15 करोड़ का मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के मध्य प्रभाजन किया गया, इसमें से ₹ 2,08.04 करोड़ मध्यप्रदेश को तथा ₹ 23.11 करोड़ छत्तीसगढ़ को आवंटित किए गए। तदनुसार अप्रभाजित राशि ₹ 2,31.15 करोड़ कम की गई तथा प्रभाजित राशि ₹ 2,08.04 की वृद्धि की गई। छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण अप्रभाजित राशि ₹ 10.21 करोड़ की कमी की गई। यह राशि राज्य के पुनर्गठन दि.01.11.2000 से पूर्व की है। मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत अनावंटित शेषों का अंतिम प्रभाजन लंबित है।

विवरण संख्या 12 — जारी

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2016 को	वर्ष 2016–17 के दौरान	31 मार्च 2017 को
निधियों के मुख्य स्त्रोत –			
2016–17 के लिए राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (–)	निरंक	37,69.42	निरंक[क]
जोड़े– निवृत्ति/विनिवेश के कारण समायोजन[ख]	(-) 2,37.91		(-) 2,62.10
ऋण			
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	8,37,18.43	2,46,72.91	10,83,91.34
केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	1,36,68.01	2,49.09	1,39,17.10[ग]
अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	1,31,19.04[घ] **5,61.49**	8,12.66	1,39,31.70 **5,61.49**
योग–ऋण	11,05,05.48 **5,61.49**	2,57,34.66	13,62,40.14 **5,61.49**
अन्य दायित्व			
आकस्मिकता निधि	5,00.00	निरंक	5,00.00
आरक्षित निधियां	80,29.54 **1,02.46**	(-) 4,98.27	75,31.27 **1,02.46**
जमा एवं अग्रिम	83,43.41 **(-) 2.38**	34,36.22	1,17,79.63 **(-) 2.38**
उचन्त एवं विविध (सरकारी लेखों को बंद राशि तथा रोकड़ शेष निवेश लेखा तथा मध्यभारत रेलवे तथा मिलिट्री निधियों के निवेश लेखे को छोड़कर)	20,37.64 **7.93**	(-) 8,32.25	12,05.39 **7.93**
प्रेषण	9,56.15	(-) 71.88	8,84.27
योग–अन्य दायित्व	1,98,66.74 **1,08.01**	20,33.82	2,19,00.56 **1,08.01**
योग–ऋण तथा अन्य दायित्व	13,03,72.22 **6,69.50**	2,77,68.48	15,81,40.70 **6,69.50**
घटाएं: रोकड़ शेष	10,09.49	(-) 10,62.48	(-) 52.99
घटाएं: निवेश	98,87.46 **(-) 0.25**	11,57.18	1,10,44.64 **(-) 0.25**
जोड़ें – 2016–17 के दौरान सरकारी लेखों को बंद राशि	निरंक	(-) 10.21	निरंक[ख]
2016–17 के लिये अन्तर्राज्यीय परिशोधन	निरंक	(-) 0.65	निरंक[ख]
निधियों का निवल प्रावधान	11,92,37.36 **6,69.75**	3,14,32.34	14,68,86.95 **6,69.75**

(क) यह शीर्ष सरकारी लेखों को संवृत्त होता है।
(ख) पंक्ति मद के अंतर्गत राशि विवरण को संतुलित करने के लिये शामिल की गई है।
(ग) मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित ₹ 0.23 करोड़ का छत्तीसगढ़ द्वारा पुनर्भुगतान किया गया। समायोजन वर्ष 2017–18 के दौरान किया जावेगा।
(घ) ₹ 1.85 करोड़ प्रोफार्मा अंतरण के कारण कमी की गई। यह राशि राज्य के पुनर्गठन दिनांक 01.11.2000 से पूर्व की है।

विवरण संख्या 12 – समाप्त

2016–17 के अंत तक निवल पूंजीगत और अन्य व्यय एवं 2016–17 के अंत तक निधियों के मुख्य स्त्रोत के योग में अंतर को नीचे स्पष्ट किया गया है :–

	(₹ करोड़ में)
प्रगामी निवल पूंजीगत और अन्य व्यय	19,87,83.31
प्रगामी निधियों के मुख्य स्त्रोत	14,75,56.70
अंतर –	**5,12,26.61**
संचयी राजस्व आधिक्य	5,22,44.99
सरकारी लेखों को बंद राशि	(-) 37.04
अंतर्राज्यीय परिशोधन 2001–02, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16 तथा 2016–17	(-) 5.80
पूर्णांकन के कारण अंतर 2000–01	(-) 0.01
छत्तीसगढ़ को प्रोफार्मा अंतरण 2001–02, 2003–04, 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17	7,04.05
2006–07 एवं 2015–16 में विनिवेश के कारण मुख्य शीर्ष 4000–01–800 में वर्गीकृत करने के कारण पूंजीगत व्यय से प्रोफार्मा कमी की गई	(-) 3.60
छत्तीसगढ़ को आवंटन तथा स्वीकृति में संशोधन के कारण पूंजीगत शीर्षों में कमी की गई	(-) 12,62.69
8235–111 में प्रोफार्मा कमी	1,62.84
8121–115 में प्रोफार्मा वृद्धि	(-) 76.13
आकस्मिकता निधि को विनियोजन	(-) 5,00.00
योग	**5,12,26.61**

13 – समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों के सारांश का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

नामे शेष	सामान्य लेखे के क्षेत्र	लेखे का नाम	जमा शेष
		समेकित निधि –	
10,28,23.30[क]	क से घ, छ, ज और ठ का अंश (मुख्यशीर्ष 8680 केवल)	शासकीय लेखे	
	ड	लोक ऋण	12,23,08.45
21,76.05	च	ऋण तथा अग्रिम	
4,28,19.45		**आकस्मिकता निधि–**	
		आकस्मिकता निधि	5,00.00
		लोक लेखा–	
			5,61.49
			1,39,31.70
	झ	अल्प बचत, भविष्य निधियॉं आदि	
	ञ	**आरक्षित निधियॉं–**	
		ब्याज वाली आरक्षित निधियॉं	**1,02.46**
		सकल शेष	6,68.00
		बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियॉं	
		सकल शेष	68,63.27
4,16.42		निवेश	
	ट	**जमा तथा अग्रिम–**	
		(i) ब्याज वाली जमा	**(-) 2.38**
			5.31
		(ii) बिना ब्याज वाली जमा	1,17,78.25
		सकल शेष	
3.93		(iii) अग्रिम	
	ठ	**उचन्त और विविध–**	
1,06,28.22		निवेश	
		अन्य मदें (निवल)	**8.18**
			12,05.39
	ङ	**प्रेषण**	8,84.26
(-) 52.99[ख]	ढ	**रोकड़ शेष**	
15,88,14.38		**योग**	15,88,14.38

टीप :– इस विवरण पत्रक में मोटे अंक मध्यप्रदेश में रोके गये शेषों को दर्शाते हैं, जिनका मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन होना हैं।

[क] विवरण के लिए कृपया आगामी पृष्ठ पर पैरा एवं उसके नीचे की तालिका देखें।

[ख] विस्तृत विवरण के लिए कृपया विवरण पत्रक–2 के पृष्ठ क्रमांक 7 पर अनुलग्नक के नीचे पाद टिप्पणी (ग) देखें।

विवरण संख्या 13 – जारी

(क) सरकारी लेखा :– सरकारी लेखों में अपनाई गई बही खाता पद्धति के अंतर्गत राजस्व, पूँजीगत शीर्षों तथा सरकार के अन्य लेन–देनों के अंतर्गत अंकित की जाने वाली राशियॉ जिनके शेष प्रतिवर्ष लेखाओं में आगे नहीं ले जाए जाते है, एकल शीर्ष को संवरित होते है को ''सरकारी लेखा'' कहा जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत जो शेष होते है, वे ऐसे सभी लेन–देनों के संचयी परिणामों का प्रतिनिधित्व करते है।

इसमें लोक ऋण, कर्जे और पेशगियॉ, अल्प बचतें, भविष्य निधियॉ, आरक्षित निधियॉ, जमा और पेशगियॉ, उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखे के अतिरिक्त), प्रेषण तथा आकस्मिकता निधि आदि के शेषों को जोड़ा जाता है तथा वर्ष के अंत में अंतिम रोकड़ शेष निकाला और प्रमाणित किया जाता है।

इस सारांश के शीर्षकों में सरकारी बहियों के उन समस्त लेखा शीर्षो के अंतर्गत आने वाली शेष राशियों का परिकलन किया जाता है, जिनके संबंध में प्राप्त धन को वापस करने की देयता या दी गई राशि को वसूल करने का अधिकार सरकार का होता है तथा साथ ही प्रेषण लेन–देनों के समायोजन के लिये बहियों में खोले गये लेखा शीर्ष भी सम्मिलित है।

यह भी समझ लेना चाहिये कि, ये शेष मध्यप्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा लेखा जोखा नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि ये राज्य की समस्त भौतिक परिसम्पतियों यथा–भूमि, भवन, संचार साधन आदि को शामिल नहीं करते है न ही कोई उपार्जित–देय राशियॉ अथवा बकाया दायित्व, जिन्हें सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली नकद आधार की लेखा विधि के अंतर्गत लेखों में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

वर्ष 2016–17 के अंत मे सरकारी लेखे के नामे निवल राशि निम्नानुसार निकाली गई हैः–

(₹ करोड़ में)

नामे	सामान्य लेखे के क्षेत्र	लेखे के नाम	जमा
7,93,17.74	क	1 अप्रैल, 2016 को सरकारी लेखे का नामे शेष	–
निरंक	ख	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	12,33,06.79
निरंक	ग	विविध पूंजीगत प्राप्तियॉ	24.19
11,95,37.37(क)	घ	व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	–
2,72,88.31	ङ	व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	–
0.66	च	अंतर्राज्यीय परिशोधन (मु.शी.7810)	0.01
10.21	छ	उचंत एवं विविध	–
निरंक	ज	आकस्मिकता निधि का अंतरण (मु.शी.7999)	–
निरंक		31 मार्च, 2017 को सरकारी लेखे के नामें राशि	10,28,23.30
22,61,54.29		**योग**	**22,61,54.29**

निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2017 का प्रारंभिक शेष ₹ 7,93,17.74 करोड़ (नामे) गत वर्ष के अंतशेष ₹ 7,93,09.38 करोड़ (नामे) से ₹ 8.36 करोड़ (नामे) प्रोफार्मा सुधार/अंतरण के जोड़े गए।

(₹ करोड़ में)

शीर्ष जिनसे संबंधित 01 अप्रैल, 2016 के प्रारंभिक शेष बदल गये हैं	**जमा शेष वृद्धि (+)/कमी (–)**	**नामे शेष वृद्धि (+)/कमी (–)**
मु.शी.8009–01–101–0001–राज्य भविष्य निधि–	1.85	निरंक
मु.शी.7610–201	निरंक	4.74
मु.शी.7610–202	निरंक	5.28
मु.शी.7610–204	निरंक	0.10
मु.शी.7610–800	निरंक	0.09
योग	**1.85**	**10.21**
निवल (नामे)		**8.36**

(क) ₹ 12,25,64.42 करोड़ के सकल राजस्व व्यय में से पुनर्प्राप्तियों की राशि ₹ 30,27.05 करोड़ घटाने पर यह परिणाम है। (संदर्भ – विनियोग लेखे का परिशिष्ट–I)

विवरण संख्या 13 – समाप्त

(i) कई प्रकरणों में परिशिष्ट–VII में प्रतिवेदित और लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालयों में इस प्रयोजन हेतु रखी गई पृथक पंजियों अथवा अन्य अभिलेखों में दिखाए गए अंतशेषों में असमाशोधित अंतर है। विसंगतियों को दूर करने के उपाय किये जा रहे हैं।

(ii) संबंधित अधिकारियों को प्रतिवर्ष उनके सत्यापन और स्वीकारोक्ति हेतु शेष संप्रेषित किये जाते हैं। अधिकतर प्रकरणों में ऐसी स्वीकारोक्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

(iii) प्रकरण जिनके शेषों की स्वीकारोक्ति में बिलंब हुआ है तथा विचारणीय राशि शामिल है, उन्हें परिशिष्ट–VII में दर्शाया गया है।

(iv) शेषों के पुनर्मिलान से संबंधित प्रकरण जिनमें विवरण/प्रलेख प्रतीक्षित है, का ब्यौरा परिशिष्ट–VII में दर्शाया गया है।

(v) ''राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956'' के अनुसार ₹ 0.15 करोड़ की धनराशि ''हैदराबाद परिचालन उचन्त'' में है, जिसे मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आंध्रप्रदेश सरकार को आवंटित किया जाना अभी शेष है। भारत सरकार पूर्व में ही आंध्रप्रदेश सरकार को लागत का दायित्व स्वीकार करने के लिए निर्देशित कर चुकी है। मामला अभी भी मध्यप्रदेश और आंध्रप्रदेश सरकार के मध्य पत्राचार स्तर पर है।

लेखों पर टिप्पणियाँ

1. विषिष्ट लेखांकन नीतियों का सारांष

(i) अस्तित्व एवं लेखांकन अवधि :– ये लेखे 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के मध्यप्रदेश सरकार के लेन–देनों को प्रदर्शित करते हैं। मध्यप्रदेश सरकार के प्राप्ति और व्यय के लेखों को प्रारंभिक लेखा रखने वाले 56 जिला कोषालयों, 404 लोक निर्माण संभागों (126 जल संसाधन, 133 लोक निर्माण जिसमें 82 मण्डल तथा 51 परियोजना इकाइया¡ शामिल हैं, 71 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा 74 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के संभाग), 126 वन संभागों, 59 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित किया जाता है एवं वर्ष के अंत में किसी भी मासिक लेखा को छोड़ा नही गया था तथा मासिक प्रस्तुतीकरण में विलंब नगण्य था।

(ii) लेखांकन का आधार :– कुछ पुस्तकीय समायोजनों के अपवाद सहित **(अनुलग्नक क)**, लेखांकन अवधि के दौरान लेखे वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रदर्शित करते हैं। भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे निवेश आदि ऐतिहासिक मूल्य पर दिखाये गये हैं अर्थात संपत्ति के अर्जन/क्रय के वर्ष मे मूल्य। भौतिक परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नही किया गया है। भौतिक परिसंपत्तियों की उनके जीवन पर्यन्त तक की हानि भी विस्तारित तथा मान्य नहीं की गई है।

लेखा अवधि के दौरान संवितरित निवृत्ति लाभों को लेखाओं में व्यक्त किया गया है परन्तु सरकार के भविष्य के पेंशन दायित्व अर्थात इसके कर्मचारियों की पूर्व एवं वर्तमान सेवाओं के निवृत्ति लाभो को लेखा में शामिल नही किया गया है।

(iii) मुद्रा जिसमें लेखे रखे जाते हैं :– मध्यप्रदेश सरकार के लेखे भारतीय मुद्रा रुपये (₹) में संधारित किए जाते हैं।

(iv) लेखाओं के प्रपत्र :– संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा विहित प्रपत्रों पर संघ एवं राज्य सरकार के लेखे रखे जाते हैं। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त शब्द 'प्रपत्र' व्यापक अर्थों में है जिसमें न केवल विस्तारित प्रपत्र जिनमें लेखे रखे जाते हैं अपितु उपयुä शीर्षों के चयन का आधार भी है जिनके अन्तर्गत लेन–देनों को वर्गीकृत किया जाता है।

(v) राजस्व एवं पूंजीगत के मध्य वर्गीकरण :– राजस्व व्यय आवधिक प्रकृति का है और राजस्व प्राप्तियों से किया जाता है। पूंजीगत व्यय को स्थायी प्रकृति की और ठोस परिसम्पत्तियों में वृद्धि अर्जन/उत्पत्ति करने तथा स्थायी दायित्वों को कम करने के उद्देश्य से किये गये व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये भारतीय सरकारी लेखाकरण मानक दो (आई.जी.ए.एस.2) के परिप्रेक्ष्य में सहायक अनुदान, प्रदाता की पुस्तकों में राजस्व व्यय के रूप में तथा प्राप्तिकर्त्ता की पुस्तकों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

वर्ष के दौरान, राज्य सरकार द्वारा राजस्व अनुमानों में ''मशीनरी'' के अंतर्गत गलत बजट प्रावधान कर ₹ 451.81 करोड़ का एवं ''वृहद् कार्य'' के अंतर्गत ₹ 8.35 करोड़ का व्यय किया गया इसी प्रकार पूंजीगत अनुभाग में ''संधारण'' के अन्तर्गत ₹ 52.76 करोड़ एवं ''सहायता अनुदान'' के अन्तर्गत ₹ 203.02 करोड़, ''वेतन'' के अंतर्गत ₹ 234.25 करोड़, ''मजदूरी'' के अंतर्गत ₹ 525.91 करोड़, ''यात्रा भत्ता'' के अंतर्गत ₹ 3.32 करोड़, ''कार्यालय व्यय'' के अंतर्गत ₹ 11.93 करोड़, ''परीक्षा एवं प्रशिक्षण'' के अंतर्गत 2.14 करोड़, ''व्यवसायी सेवाओं के लिए भुगतान'' के अंतर्गत ₹ 11.47 करोड़, ''प्रसार एवं प्रचार'' के अंतर्गत ₹ 0.26 करोड़ तथा ''डिक्रीटल प्रभार हेतु भुगतान'' के अंतर्गत ₹ 0.77 करोड़ का त्रुटिपूर्ण बजट प्रावधान किया गया। जून 2016 में बजट समीक्षा के दौरान उपरोक्त गलत बजट प्रावधान के लिये प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया गया लेकिन 31 मार्च 2017 के अन्त तक सुधार पर्ची जारी नहीं की गई।

(vi) मुख्यशीर्ष 4202–03 के अंतर्गत गलत लघुशीर्ष 003 – खेलकूद एवं युवा सेवाएं का प्रचालन :– वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अनुदान संख्या 61 – मुख्यशीर्ष 4202 – उपमुख्यशीर्ष – 03

लघुशीर्ष – 003 खेलकूद एवं युवा सेवाएं योजना (7427) तकनीकी संस्थाओं के लिए भवनों का निर्माण के अंतर्गत ₹ 2,000 का बजट प्रावधान किया गया है। 'लेखाओं की मुख्य एवं लघुशीर्ष की सूची' के अनुसार राजस्व व्यय के अंतर्गत लघुशीर्ष 03 'खेलकूद एवं युवा सेवाएं के स्थान पर 'प्रशिक्षण' दिया गया है। योजना 'तकनीकी संस्थाओं के लिए भवनों का निर्माण' 4202–03–003 के स्थान पर वर्गीकरण 4202–02–105 अभियांत्रिकी/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के अंतर्गत प्रचालित होना चाहिये।

वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के दौरान वर्गीकरण 4202–03–003 के अंतर्गत कोई व्यय की प्रविष्टि नहीं की गई है, तथापि वित्त लेखे के विवरण संख्या 16 में 4202–03–003–6952–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए भवनों का निर्माण के अंतर्गत प्रगामी व्यय ₹ 63.96 करोड़ दिखाया गया है। योजना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए भवन का निर्माण 4202–03–003 के स्थान पर वर्गीकरण 4202–02–104 पॉलिटेक्निक के अंतर्गत खोला जाना चाहिए।

2. लेखों की गुणवत्ता :–

(i) लघुशीर्ष 800 के अंतर्गत प्रविष्टि – ''अन्य प्राप्तियां'' तथा ''अन्य व्यय'' :– लघुशीर्ष ''अन्य प्राप्तियाँ'' तथा ''अन्य व्यय'' का परिचालन केवल तब किया जाता है जबकि लेखाओ में उपयुक्त लघुशीर्ष नहीं दिया गया हो। लघुशीर्ष 800 का सामान्य परिचालन निरुत्साहित किया जाना चाहिये, क्योंकि यह लेखे को अपारदर्शी बनाता है। लेखा के राजस्व प्राप्ति शीर्षों के नीचे लघुशीर्ष 800–''अन्य प्राप्तियों'' के अंतर्गत, संबद्ध मुख्यशीर्षों की दर्ज प्राप्ति (कुल राजस्व प्राप्ति ₹ 1,23,306.79 करोड़ का 26.76 प्रतिशत) ₹ 33,003.16 करोड़ वर्गीकृत किये गये हैं। इसी प्रकार राजस्व एवं पूंजीगत व्यय शीर्षों के नीचे लघुशीर्ष 800–''अन्य व्यय'' के अंतर्गत संबद्ध मुख्यशीर्षों का दर्ज व्यय (कुल व्यय राशि ₹ 1,46,825.68 करोड़ की 14.24 प्रतिशत राशि) ₹ 20,906.92 करोड़ का व्यय वर्गीकृत किया गया है। प्राप्ति एवं व्यय के अधिकतर भाग (10 प्रतिशत या अधिक) को 800–अन्य प्राप्तियाँ/व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत करने के उदाहरण क्रमशः **अनुलग्नक – ख एवं ग** में सूचीबद्ध किए गए हैं।

(ii) प्राप्तियों तथा व्यय का पुनर्मिलान :– मध्यप्रदेश बजट संहिता की कण्डिका 24.9.3 के अनुसार सभी नियंत्रण अधिकारियों को सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का महालेखाकार द्वारा लेखांकित राशि के साथ पुनर्मिलान करना चाहिए। वर्ष 2016–17 के दौरान सभी 117 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा राशि ₹ 53,985.77 करोड़ (कुल व्यय लोक ऋण के अंतर्गत पुनर्भुगतान की राशि को छोड़कर राशि ₹ 1,51,766.61 करोड़ का 35.57 प्रतिशत) का आंशिक मिलान किया गया एवं प्राप्तियों की राशि ₹ 3,806.56 करोड़ (कुल प्राप्तियों ₹ 1,24,103.04 करोड़ का 3.07 प्रतिशत ''लोक ऋण'' के अन्तर्गत प्राप्तियों को छोड़कर) का मिलान किया गया। प्राप्तियों और व्यय का पुनर्मिलान नही किया जाना लेखाओं की शुद्धता और पूर्णता को प्रभावित करता है।

(iii) रोकड़ शेष का पुनर्मिलान :– 31 मार्च 2017 की स्थिति में महालेखाकार द्वारा निकाले गए भारतीय रिजर्व बैंक के पास रोकड़ शेष तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित रोकड़ शेष के मध्य ₹ 364.93 करोड़ (नामे) का निवल अंतर था। यह अंतर मुख्यतया एजेन्सी बैंक तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेन–देनों की गलत जानकारी देने के कारण है तथा पुनर्मिलान के अधीन है।

(iv) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण– पत्रः– सशर्त अनुदानों के प्रकरण में संस्वीकृति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय दृष्टिकोण से अनुदानों के उचित उपयोग के बारे में औपचारिक उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को उस वर्ष जिससे अनुदान संबंधित है के आगामी वर्ष की 30 सितम्बर या उससे पहले मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 182 के अनुसार प्रेषित किये जाने चाहिए। उपयोगकर्त्ता से उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की अप्राप्ति के कारण निधि का उचित उपयोग नहीं जाना जा सका। बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र की स्थिति नीचे दी गई है :–

बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र	राशि
2014-15 तक	21075	17,748.04
2015-16	17	327.21
2016-17	02	4.85*
योग	21094	18,080.10

(* 31 मार्च 2017 तक वितरित अनुदान के मामले में उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2017 को या इसके पूर्व देय होंगे सिवाय इसके जहां स्वीकृति आदेश में अन्यथा निर्देश नहीं दिए गए हों)

कृषि विभाग से 64.58 प्रतिशत (3,090 उपयोगिता प्रमाण–पत्र राशि ₹ 439.99 करोड़), सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (1,143 उपयोगिता प्रमाण–पत्र राशि ₹ 748.03 करोड़) एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (1,596 उपयोगिता प्रमाण–पत्र ₹ 4,795.81 करोड़) श्रम तथा रोजगार (1,269 उपयोगिता प्रमाण–पत्र राशि ₹ 44.61 करोड़), उद्योग विभाग (2,987 उपयोगिता प्रमाण–पत्र राशि ₹ 187.07 करोड़) तथा मछली पालन विभाग (3,536 उपयोगिता प्रमाण–पत्र राशि ₹ 11.12 करोड़) के वर्ष 2016–17 तक के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रतीक्षित थे।

(v) **निधियों का व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खातों एवं अन्य जमा खातों में अंतरणः–** मध्यप्रदेश खजाना संहिता के नियम 543 के अनुसार समेकित निधि को नामे कर और व्यक्तिगत जमा लेखाओं को क्रेडिट कर स्थानांतरित की गयी निधियों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व समेकित निधि को वापस स्थानांतरित करना चाहिए तथा यदि ऐसी सम्भावना उत्पन्न होती है तो आगामी वर्ष व्यक्तिगत जमा खाता पुनः खोला जा सकता है। दिनांक 31.03.2017 को खुले रहे व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति नीचे दी गई है :–

31 मार्च 2017 को व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बंद खाते		अंतशेष	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
786	**3,231.92**	**23**	**3,472.19**	**10**	**1,353.74**	**799***	**5,350.37**

* 465 व्यक्तिगत जमा खाते राशि ₹ 1,447.66 करोड़ एक वर्ष से अधिक अवधि से अप्रचलित रहे।

(vi) **भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण उपकर :–** भारत सरकार द्वारा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण मण्डल के संसाधनों में वृद्धि हेतु नियोक्ता द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य की कीमत का 1 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक उपकर उपार्जित एवं संग्रहीत करने के लिए 'भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण उपकर अधिनियम' 1996 पारित किया गया। अधिनियम में प्रावधानित अनुबंध 62 एवं अनुबंध 40 में दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुये राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी (नियुक्ति एवं सेवा शर्तों का नियमन) नियम 2002 तैयार किया गया।

'भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण उपकर' को ठेकेदार के चल देयक में से कटौती कर **मुख्यशीर्ष 8443–**108–लोक निर्माण जमा के अंतर्गत जमा किया जाता है क्योंकि लघुशीर्ष 108–'लोक निर्माण जमा' में कोई भी विशिष्ट उपशीर्ष नहीं है। अतः उपकर के लेखाकरण के लिए कोई लेखाकरण नियम नहीं होने के कारण वास्तविक रूप से कितना उपकर संग्रहित किया गया बाद में कितना म.प्र.भवन एवं अन्य कर्मचारी कल्याण मण्डल को अंतरित किया गया, निश्चित नहीं किया जा सकता।

3. अन्य मदें :–

(i) निवृत्ति लाभों का दायित्व :– 31 दिसम्बर 2004 को या पहले नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों पर वर्ष 2016–17 के दौरान पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पर ₹ 8,456.22 करोड़ व्यय किये गये। इस राशि में अवकाश नगदीकरण लाभ के ₹ 479.29 करोड़ शामिल है, जो कुल राजस्व व्यय का 7.07 प्रतिशत है।

दिनांक 01.01.2005 को या उसके बाद में नियुक्त किये गये राज्य सरकार के कर्मचारियो को नई पेंशन योजना जिसे परिभाषित अंशदान पेंशन योजना नाम दिया गया के अंतर्गत रखा गया है। योजना के अनुसार कर्मचारी के वेतन से उसके मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान तथा इतना ही राज्य सरकार का अंशदान मिलाकर संपूर्ण राशि को नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) न्यासी बैंक के माध्यम से पदासीन निधि प्रबंधक को अंतरित किया जाता है। कर्मचारियों द्वारा अदा की जाने वाली वास्तविक राशि तथा राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाले समान अंशदान का आंकलन नही किया गया है।

निर्धारित प्रक्रियानुसार, दोनों तरह के अंशदान प्रारंभिक तौर पर लोक लेखा के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8342–अन्य जमा–117 सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना में जमा किए जाते हैं। तत्पश्चात, संपूर्ण राशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/न्यासी बैंक को उस वर्ष के लिए पदासीन निधि प्रबंधक के माध्यम से स्थानान्तरित की जाती है (मुख्यशीर्ष 8342–''ब्याज वाली जमा'' श्रेणी के अंतर्गत आता है जिसका अर्थ है कि सरकार को एन.एस.डी.एल./न्यासी बैंक को बिना हस्तान्तरित किये लोक लेखे में रखे शेषों पर ब्याज अदा करना होता है)। यह विधि यह सत्यापित करने को संभव बनाती है कि क्या कर्मचारियों के अंशदान के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा सभी कटौत्रे डाले गए तथा लोक लेखे को स्थानान्तरित किए गए तथा क्या संपूर्ण राशि (कर्मचारी तथा नियोक्ता का अंशदान) एन.एस.डी.एल./न्यासी बैंक को स्थानान्तरित किया गया। यह भी सत्यापित करना संभव बनाता है कि, क्या वर्ष के अंत में लोक लेखे में रखे शेषों पर देय ब्याज का भुगतान कर दिया है तथा एन.एस.डी.एल./न्यासी बैंक को स्थानान्तरित कर दिया है।

जबकि मध्यप्रदेश सरकार ने उक्त प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया। राज्य सरकार नवीन पेंशन योजना में कर्मचारियों के अंशदान के लिए प्राप्ति मुख्य शीर्ष ''0071–पेंशन एवं अन्य निवृत्ति लाभों के लिए अंशदान एवं वसूलियाँ'' के अन्तर्गत बजट प्रावधान एवं प्रविष्टि की विधि अपनाती है। उपरांत में ये अंशदान उक्त मुख्यशीर्ष 0071–के अंतर्गत लघुशीर्ष ''900–घटाईये वापसियां'' संचालित कर निधि को स्थानांतरित किये जाते हैं। चूंकि वर्ष के अंत में समेकित निधि सरकार के लिए संवरित की जाती है तथा अवशेषों को अग्रेषित नही किया जाता है। अतएव किसी वर्ष में निधि को प्रेषित अंशदानों में किसी भी प्रकार की कमी बाद के वर्षों के लेखों में उपलब्ध नही होती है। वर्ष 2016–17 के दौरान कर्मचारी अंशदान राशि ₹ 313.40 करोड़ के विरूद्व राज्य सरकार ने राशि ₹ 336.94 करोड़ अंशदान किया। राज्य सरकार द्वारा अनुसरित लेखाकरण कार्य विधि के कारण (उपरिलिखित) यह पूर्वाकलन करना संभव नही है कि वर्ष 2016–17 में अधिक नियोक्ता अंशदान, पूर्व वर्षों में नियोक्ता अंशदान की कमी के विरूद्व अथवा अन्य कारण से था।

मुख्य शीर्ष ''0071–01–500–अन्य लघु शीर्षों को अंतरण के लिए प्रतीक्षित प्राप्तियां'' के अन्तर्गत जमा कुल अंशदान ₹ 650.34 करोड़ में से राज्य सरकार द्वारा मात्र ₹ 628.48 करोड़ एन.एस.डी.एल./न्यासी बैंक को स्थानान्तरित किए गए। परिणामतः ₹ 21.86 करोड़ का कम अंतरण किया गया। चूँकि यह राशि निधि में नहीं रही। अतएव यह वर्ष के अंत में शासकीय लेखे को व्यपगत हो गयी। उपार्जित ब्याज सहित असंग्रहित, असमानित तथा अस्थानान्तरित राशियाँ योजना के अंतर्गत बकाया दायित्वों को दर्शाती हैं।

(ii) राज्य शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां :– विवरण पत्रक 9 में प्रतिवेदित प्रत्याभूतियां राज्य शासन से प्राप्त जानकारी पर आधारित है जो राज्य शासन के विभिन्न स्वत्वधारी जैसे – सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि को जारी ऐसी प्रत्याभूतियों के लिए प्राधिकारी है। वर्ष 2016–17 के दौरान अधिकतम प्रत्याभूतित (मूल + ब्याज) राशि ₹ 40,394.75 करोड़ थी। मार्च 2017 के अंत में कुल बकाया प्रत्याभूतियां ₹ 33,396.80 करोड़ थी जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित, पूर्व वर्ष (2015–16) की राजस्व प्राप्ति ₹ 1,05,510.60 करोड़ की 80 प्रतिशत (31.65 प्रतिशत) की सीमा में है। वर्ष 2016–17 के दौरान कोई प्रत्याभूति याचित नहीं हुई। वर्ष 2016–17 के दौरान अनुमानित प्रत्याभूति कमीशन ₹ 206.68 करोड़ के विरूद्ध ₹ 74.24 करोड़ प्राप्त हुये। परिणामस्वरूप ₹ 132.44 करोड़ का अल्प संग्रहण हुआ।

प्रत्याभूतियों की राशियों (₹ 11,462.86 करोड़) के बीच विसंगतियां वित्त लेखे में दिखाई गई है तथा वे विभिन्न राज्य सरकार इकाइयों (₹ 3,709.32 करोड़) द्वारा पुनर्मिलान के अंतर्गत सूचित की गई है।

(iii) ऋण तथा अग्रिम :– भारत सरकार द्वारा घोषित किये गये भारतीय सरकारी लेखाकरण मानक तीन (आई.जी.ए.एस.–3) की आवश्यकताओं के अनुरूप सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिम पर प्रकटीकरण शामिल किये गये हैं। वर्ष 2016–17 के अंत तक राज्य सरकार द्वारा ₹ 44,995.50 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम दिये गये थे। इसमें से शासकीय निगमों, कंपनियों, सांविधिक निगमों, अशासकीय संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को ₹ 44,969.61 करोड़ तथा शासकीय सेवकों को ₹ 25.89 करोड़, ऋण एवं अग्रिम दिये गये। राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ऋण तथा अग्रिम का पुनर्मिलान नहीं किया गया। ऋण तथा अग्रिमों की राशियों (₹ 22,723.87 करोड़) के बीच विसंगतियां वित्त लेखे में दिखाई गई है तथा वे विभिन्न राज्य सरकार इकाइयों (₹ 33,349.22 करोड़) द्वारा पुनर्मिलान के अंतर्गत सूचित की गई है।

(iv) निवेश :– सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी एवं संयुक्त पूंजी कंपनियों तथा सहकारी समितियों में साधारण पूंजी तथा अंश के रूप में निवेश किया गया है। इस सरकारी निवेश का दिनांक 31 मार्च 2017 की स्थिति में विवरण नीचे दिया गया है :–

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	इकाइयों की संख्या	वर्ष 2016–17 के अंत तक निवेश
1. सांविधिक निगम	26	10,496.29
2. सरकारी कंपनियां	35	9,603.62
3. अन्य संयुक्त पूंजी कंपनियाँ एवं भागीदारी	23	1.65
4. सहकारी बैंक एवं समितियां	134	2,570.31
योग	**218**	**22,671.87**

निवेशों की राशियों (₹ 17,231.86 करोड़) के बीच विसंगतियां वित्त लेखे में दिखाई गई तथा वे विभिन्न राज्य सरकार इकाइयों (₹ 14,668.29 करोड़) द्वारा पुनर्मिलान के अंतर्गत सूचित की गई हैं।

(v) आरक्षित निधियां :–

(क) **समेकित निक्षेप निधि (स.नि.नि.) :–** बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि, राज्यों को ऋणों के परिशोधन हेतु निक्षेप निधि स्थापित करना चाहिये। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों को उनके पिछले वर्ष के अंत में बकाया दायित्वों (आंतरिक ऋण + लोक लेखा के दायित्व) का 0.5 प्रतिशत समेकित निक्षेप निधि में अंशदान करना चाहिए। 31 मार्च 2016 को मध्यप्रदेश सरकार के बकाया दायित्व ₹ 1,27,144.43 करोड़ थे। अतः राज्य सरकार द्वारा समेकित निक्षेप निधि में ₹ 635.72 करोड़ का अंशदान करना अपेक्षित था। राज्य सरकार द्वारा अभी तक समेकित निक्षेप निधि का गठन नहीं किया गया है।

(ख) **प्रत्याभूति विमोचन निधि (प्र.वि.नि.) :–** मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 2006 में प्रत्याभूति विमोचन निधि स्थापित की। योजनानुसार सरकार को विगत वर्ष में विमुक्त किए गए प्रत्याभूति शुल्क के बराबर राशि अंशदान करनी होती है तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर अंशदान को मिलाया जाता है। पिछले वर्ष प्रत्याभूति शुल्क ₹ 14.21 करोड़ विमुक्त किया गया था। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में, निधि में, ₹ 28.42 करोड़ का अंशदान करना था परन्तु राज्य सरकार द्वारा निधि में ₹ 14.21 करोड़ का अंशदान किया गया। परिणामस्वरूप ₹ 14.21 करोड़ का अल्प अंशदान हुआ। 31 मार्च 2017 को ₹ 33,396.80 करोड़ की बकाया प्रत्याभूतियों के विरूद्ध निधि में ₹ 408.79 करोड़ शेष

थे। निधि का सम्पूर्ण शेष ₹ 408.79 करोड़ केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में निवेशित किया गया।

(ग) **राज्य आपदा मोचन निधि (रा.आ.मो.नि.) :–** तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 में राज्य आपदा मोचन निधि का प्रचालन प्रारंभ किया गया। दिशा निर्देशों एवं 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा निधि में 75 : 25 के अनुपात में अंशदान किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में राज्य आपदा विमोचन निधि के अंतर्गत ₹ 921 करोड़ (₹ 690.75 करोड़ केन्द्रांश एवं ₹ 230.25 करोड़ राज्यांश) अंतरित किए गए।

दिशा निर्देशों के अनुसार, गम्भीर आपदा के प्रकरण में, जहाँ राज्य आपदा विमोचन निधि में आवश्यकता से कम शेष हो, केन्द्र सरकार राष्ट्रीय आपदा विमोचन निधि (रा.आ.वि.नि.) से तत्काल राहत उपलब्ध करा सकती है। वर्ष 2016–17 में, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को ₹ 863.81 करोड़ की अतिरिक्त सहायता जारी की गयी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में निधि को कुल राशि ₹ 2,796.80 करोड़ अंतरित किए गए जिसमें राष्ट्रीय आपदा विमोचन निधि से प्राप्त राशि ₹ 1,875.80 करोड़ अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में सम्मिलित है। 31 मार्च 2017 के अंत में निधि का अंतशेष ₹ 668 करोड़ था। राज्य सरकार ने उक्त राशि को न तो उपयोग किया और न ही निवेश किया।

(vi) **ब्याज समायोजन :–** ञ–आरक्षित निधि ((क) – ब्याज वाली आरक्षित निधियां) एवं ट – जमा तथा अग्रिम ((क)– ब्याज वाली जमा) की श्रेणी के अंतर्गत शेषों के संदर्भ में सरकार अदा/समायोजन करने हेतु उत्तरदाई है तथा इस उद्देश्य हेतु मुख्य एवं लघु शीर्षों की लेखा सूची (जैसे ''05–आरक्षित निधियों पर ब्याज'' व मु.शी.2049–ब्याज अदायगियां'' के अंतर्गत'' 60–''अन्य दायित्वों पर ब्याज'') में विशिष्ट उप मुख्यशीर्ष प्रदान किए गए हैं।

वर्ष 2016–17 के प्रारंभ में राज्य आपदा विमोचन निधि (रा.आ.वि.नि.) से संबंधित ञ – (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियों के अंतर्गत राशि ₹ 668 करोड़ बकाया शेष थी तथा ट–(क) ब्याज वाली जमा के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना से संबंधित ₹ 20.60 करोड़ सम्मिलित करते हुए राशि ₹ 34.84 करोड़ थी। राज्य सरकार ने इन राशियों पर ब्याज का भुगतान नहीं किया। राज्य आपदा विमोचन निधि पर ब्याज ₹ 51.17 करोड़ तथा विविध जमा ₹ 14.24 करोड़ (वर्ष 2016–17 के लिये अर्थोपाय पेशगियों पर औसत ब्याज दर लेते हुए 7.5 प्रतिशत की दर से परिकलित) एवं सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना पर ₹ 1.65 करोड़ (वर्ष 2016–17 के लिये सा.भ.नि. पर औसत ब्याज लेते हुए 8.00 प्रतिशत की दर से परिकलित) सरकार को भुगतान करने की आवश्यकता थी।

(vii) उचंत एवं प्रेषण शेष :– वित्त लेखे, उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेषों को प्रतिबिंबित करते हैं। इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत बकाया नामे एवं जमा शेषों को पृथक–पृथक जोड़कर निकाला गया है। मुख्य उचंत शीर्षों के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की सकल राशियों की स्थिति **अनुलग्नक ''घ''** में दी गयी है।

बकाया शेषों को निराकरण नहीं किये जाने से राज्य सरकार के इन शीर्षों में प्राप्ति/व्यय राशि एवं विभिन्न लेखों में शेषों (जिन शेषों को प्रतिवर्ष अग्रेषित किया जाता है) की स्थिति की शुद्धता प्रभावित होती है।

(viii) राज्य में केन्द्रीय योजनाओं की निधियों का क्रियान्वयन संस्थाओं को प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट से बाहर उपलब्ध कराई गई निधि) :– केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत संपूर्ण सहायता क्रियान्वयन एजेंसी को न देते हुए राज्य सरकार को देने संबंधी दिनांक 01 अप्रैल 2014 से प्रभावशाली भारत सरकार के निर्णय के बावजूद, महानियंत्रक, लेखा की लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के पोर्टल अनुसार भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन संस्थाओं को वर्ष 2015–16 में ₹ 629.48 करोड़ के विरुद्ध वर्ष

2016–17 के दौरान ₹ 1,239.92 करोड़ जारी किए गए जो कि 97 प्रतिशत की वृद्धि है। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–VI** में है।

(ix) प्रतिकूल शेष :– वन विभाग द्वारा पूर्व वर्षों में (2015–16 तक) ₹ 59.03 करोड़ के साथ ₹ 16.58 करोड़ (प्राप्तियां ₹ 9.64 करोड़ एवं संवितरण ₹ 26.22 करोड़ का निवल) का वर्ष 2016–17 के दौरान गलत वर्गीकरण करने के कारण मुख्यशीर्ष 8443–109 वन जमा के अन्तर्गत ₹ 75.61 करोड़ का ऋणात्मक शेष परिलक्षित हो रहा है। ये समीक्षा/सुधार के अधीन हैं।

(x) आकस्मिकता निधि :– मध्यप्रदेश राज्य की आकस्मिकता निधि में ₹ 500 करोड़ का कोष है। विÙीय वर्ष 2016–17 के अंत में आकस्मिकता निधि को प्रतिपूर्ति के लिये कोई राशि शेष नहीं रही।

(xi) व्यय का अतिरेक :– वित्तीय नियमों के अनुसार अत्यधिक व्यय, विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में किया जाना वित्तीय नियमितता का उल्लंघन है, जिससे बचा जाना चाहिये। इसके विपरीत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान कुछ चयनित मुख्यशीर्षों के अंतर्गत माह मार्च 2017 के दौरान कुल राजस्व व्यय के अंतर्गत 20.18 प्रतिशत से 93.37 प्रतिशत के मध्य (18 मुख्यशीर्ष) तथा पूंजीगत व्यय के अंतर्गत 21.12 प्रतिशत से 96.62 प्रतिशत के मध्य (17 मुख्यशीर्ष) व्यय किया गया, विवरण **अनुलग्नक ङ** में दिया गया है।

(xii) पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के परिणामस्वरूप शेषों का आवंटन :– मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 दिनांक 01 नवम्बर 2000 से उत्तरवर्ती राज्यों मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य शेषों का आवंटन किये जाने की रीति उपलब्ध कराता है। वर्ष 2016–17 के अंत में पूंजीगत अनुभाग (₹ 5,755.20 करोड़), ऋण और अग्रिम (₹ 2,176.05 करोड़) तथा लोक लेखा (₹ 669.76 करोड़) के अंतर्गत शेष अनावंटित रहे। अनावंटित शेषों का विवरण **परिशिष्ट XIII** में दिया गया है।

(xiii) उज्जवल डिस्काम ऐश्योरेन्स योजना (उदय) :– राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के संचालन तथा विÙीय दक्षता में सुधार हेतु वर्ष 2016–17 के दौरान मध्यप्रदेश सरकार ने उज्जवल डिस्काम ऐश्योरेन्स योजना (उदय) के अंतर्गत 7.68 प्रतिशत मध्यप्रदेश सरकार के विशिष्ट बंध पत्रक 2023 जारी किये। विद्युत वितरण कंपनियों के निरन्तर ऋण से संबंधित विद्युत वितरण कंपनी के ऋणों को राज्य सरकार द्वारा ₹ 7,360 करोड़ के बंध पत्रक जारी करते हुए एवं ₹ 2,08 करोड के पुस्तक समायोजन करते हुए राशि ₹ 7,568 करोड का विस्तार कर विद्युत वितरण कंपनी के ऋण को अधिग्रहण किया गया। विद्युत वितरण कंपनी के विÙीय पैकेज का विश्लेषित विवरण निम्नानुसार है :–

(₹ करोड़ में)

कमांक	सहायता की प्रकृति	राशि
1.	उदय के अंतर्गत सहायता अनुदान	4,011
2.	उदय के अंतर्गत पूंजीगत इक्विटी	3,557
	योग	**7,568**

(xiv) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (म.प्र.रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रकटीकरण :– मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुच्छेद 5 के अन्तर्गत अपेक्षित है कि, राज्य सरकार वार्षिक बजट पेश करते समय तीन विवरणों में प्रकटीकरण करें अर्थात (क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण (ख) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण (ग) राजकोषीय नीति युक्ति विवरण। बजट वर्ष 2016–17 में उक्त विवरणों को बनाते समय राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकटनों को बनाया गया है।

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर जनवरी 2016 में, राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005, में संशोधन किया गया। अधिनियम में दिये गए लक्ष्य और वर्ष 2016–17 में निष्पादन जैसा कि लेखों में प्रदर्शित है नीचे दर्शाया गया है।

म.प्र.रा.उ.ब.प्र.अधिनियम/नियम के अनुरूप राजकोषीय लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियाँ (2016–17)
राजस्व आधिक्य / घाटा	राजस्व आधिक्य	लेखाओं के अनुसार राजस्व आधिक्य ₹ 7,780.42 करोड़ है। (उदय के अंतर्गत 4,011 करोड़ व्यय को छोड़कर)
राजकोषीय घाटा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	लेखाओं के अनुसार राजकोषीय घाटा ₹ 20,303.57 करोड़ है (राजस्व अनुभाग के अंतर्गत ₹ 4,011 करोड़ तथा पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत ₹ 3,557 करोड़ कुल ₹ 7,568 करोड़ तथा उधार एवं अग्रिम के अंतर्गत ₹ 208 करोड़ उदय के अंतर्गत को छोड़कर) बकाया ऋण जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.17 प्रतिशत है।
बकाया ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के 25.00 प्रतिशत से अधिक नहीं	बकाया ऋण ₹ 1,48,440.13 करोड़ (उदय के अंतर्गत ₹ 7,360 करोड़ के जारी बंध पत्रकों को छोड़कर) जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद* का 23.18 प्रतिशत है।

***स्त्रोत –** संचालनालय आर्थिक एवं सांख्यिकी, म.प्र.शासन के अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2016–17 के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 6,40,483.64 करोड़ लिया गया है। आंकड़े साख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।

(xv) प्रतिबद्ध दायित्व :– लेखे तब तक अपूर्ण हैं जब तक प्रतिबद्ध दायित्वों से संबंधित आंकड़े भी प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं। अनुरोध दोहराने के बावजूद चूँकि राज्य सरकार द्वारा यह जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है, अतएव वित्त लेखे 2016–17 में समाहित प्रतिबद्धताओं के दायित्वों के परिशिष्ट XII को रिक्त रखा गया है।

(xvi) राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव :– राज्य सरकार के राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव जिसका विवरण पिछली कण्डिकाओं में दिया गया है, नीचे दिया गया है :–

(₹ करोड़ में)

कण्डिका क्रमांक	मद	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		आधिक्य	कमी	आधिक्य	कमी
3(i)	एन.एस.डी.एल./न्यासी बैंक को अंशदान का कम अंतरण	21.86	निरंक	निरंक	21.86
3(v)(क)	समेकित निक्षेप निधि में अंशदान नहीं किया जाना	635.72	निरंक	निरंक	635.72
3(v)(ख)	प्रत्याभूति विमोचन निधि में कम अंशदान	14.21	निरंक	निरंक	14.21
3(vi)	आरक्षित निधियों एवं ब्याज वाली जमा पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया	52.82	निरंक	निरंक	52.82
	कुल (निवल) प्रभाव	**724.61 आधिक्य**		**724.61 कमी**	

वर्ष 2016–17 के दौरान उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना के कारण, राजस्व आधिक्य में ₹ 4,011.00 करोड़ की कमी हुई तथा राजकोषीय घाटे में ₹ 7,360.00 करोड़ की वृद्धि हुई।

अनुलग्नक क

(संदर्भ : कंडिका 1 की उप कंडिका (ii))

आवधिक/अन्य समायोजन का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

आवधिक समायोजन	लेखा शीर्ष		राषि	अभ्युक्ति
	से	को		
राज्य आपदा विमोचन निधि का आवर्धन	2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8121—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	2,796.80	राज्य शासन से प्राप्त संस्वीकृतियों के अनुसार भारत शासन से प्राप्त सहायता अनुदान एवं राज्य शासन का हिस्सा अंतरित किया गया।
ऊर्जा विकास निधि का आवर्धन	2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	8229—विकास एवं कल्याण निधि	313.13	पिछले वर्षों में संग्रहित ऊर्जा विकास प्रभार को निधि को अंतरित किया गया।
izR;kHkwfr ekspu fuf/k dk vko/kZu	2075—विविध सामान्य सेवायें	8235—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	14.21	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति अनुसार राशि स्थानांतरित
प्राकृतिक आपदा के कारण राहत खर्च में कमी करने के लिए	8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	2,796.80	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि स्थानान्तरित
खनन कल्याण निधि का आवर्धन	2853—अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	8229—विकास एवं कल्याण निधि	577.20	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति अनुसार राशि स्थानांतरित
बिजली परियोजना के पूंजीगत परिव्यय में कमी के लिए	8229—विकास एवं कल्याण निधि	4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	65.84	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति अनुसार राशि स्थानांतरित
वानिकी एवं वन्य जीवन के व्यय में कमी के लिए	8229—विकास एवं कल्याण निधि	2406—वानिकी एवं वन्य जीवन	33.50	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि स्थानान्तरित
अन्य शहरी विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय के व्यय में कमी के लिए	8229—विकास एवं कल्याण निधि	4515—अन्य शहरी विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	1,043.47	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि अंतरित
मध्य भारत जीवन बीमा निधि पर ब्याज का समायोजन	2049—ब्याज अदायगियां	8011—बीमा एवं पेंशन निधियां	2.02	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि अंतरित
कर्मचारी बीमा सह बचत योजना, 2003 पर ब्याज का समायोजन	2049—ब्याज अदायगियां	8011—बीमा एवं पेंशन निधियां	50.77	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि अंतरित
शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1985 पर ब्याज का समायोजन	2049—ब्याज अदायगियां	8011—बीमा एवं पेंशन निधियां	66.21	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि अंतरित
सा.भ.नि. पर ब्याज का समायोजन	2049—ब्याज अदायगियां	8009—राज्य भविष्य निधि	976.73	सा.भ.नि. पर ब्याज का वार्षिक समायोजन
अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन	2049—ब्याज अदायगियां	8009—राज्य भविष्य निधि	7.99	अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज का वार्षिक समायोजन

अनुलग्नक–क – समाप्त

(संदर्भ : कंडिका 1 की उप कंडिका (ii))

¼₹ djksM+ esa½

अन्य समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि	अभ्युक्ति
	से	को		
व्यक्तिगत जमा लेखा को अंतरण (10 करोड़ से अधिक)	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	8443–सिविल जमा 106–व्यक्तिगत जमा	16.07	राष्ट्रीय आयुष मिशन को राशि अंतरित
	2505–ग्रामीण रोजगार	8443–सिविल जमा 106–व्यक्तिगत जमा	202.10	महात्मा गांधी राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश के आवंटन/आहरण हेतु राशि अंतरित
	2851–ग्राम एवं लघु उद्योग	8443–सिविल जमा 106–व्यक्तिगत जमा	27.77	मुख्यमंत्री स्वरोजगार/आर्थिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि अंतरित
	2852–उद्योग	8443–सिविल जमा 106–व्यक्तिगत जमा	1,051.00	म.प्र.व्यापार एवं निवेश फेसिलिटेशन निगम के निवेश प्रोत्साहन योजना हेतु राशि अंतरित
	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	8443–सिविल जमा 106–व्यक्तिगत जमा	247.81	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के मूल सेवाओं की क्षतिपूर्ति हेतु राशि अंतरित
	4235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	8443–सिविल जमा 106–व्यक्तिगत जमा	62.00	एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु राशि अंतरित
	4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8443–सिविल जमा 106–व्यक्तिगत जमा	947.19	पंचम नगर मध्यम परियोजना के संदर्भ में भूमि अधिग्रहण प्रभार के भुगतान हेतु राशि अंतरित
	4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8443–सिविल जमा 106–व्यक्तिगत जमा	29.37	किशनपुर तालाब के किसानों को क्षतिपूर्ति भुगतान
	4851–ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	8443–सिविल जमा 106–व्यक्तिगत जमा	603.72	स्वचालित परीक्षण पथ पीतमपुर को भूमि अधिग्रहण क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु राशि अंतरित
	6856–पेट्रो केमिकल उद्योगों पर कर्ज	8443–सिविल जमा 106–व्यक्तिगत जमा	265.00	निवेश प्रोत्साहन योजना के लिये भारत–ओमान परिशोधन शाला लिमिटेड द्वारा मूल्य आधारित कर के विरुद्ध भुगतान हेतु राशि अंतरित
व्यक्तिगत जमा लेखा को अंतरण (10 करोड़ से कम)	विभिन्न शीर्ष	8443–सिविल जमा 106–व्यक्तिगत जमा	20.16	निरंक
		योग	**3,472.19**	
अन्य जमा को अंतरण (10 करोड़ से अधिक)	4215–जलपूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	8443–सिविल जमा 800–अन्य जमा	13.35	आर्सेनिक/¶लोराइड प्रभावित क्षेत्र में पेयजल के स्थापना कार्य हेतु राशि अंतरित
		योग	**13.35**	

अनुलग्नक–ख

(संदर्भ : कंडिका 2 की उप कंडिका (i))

लघु शीर्ष 800 – ''अन्य प्राप्तियाँ'' के अंतर्गत दर्ज मुख्यशीर्षवार प्राप्तियों का विवरण पत्रक

¼₹ djksM+ esa½

मुख्य शीर्ष		मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 – ''अन्य प्राप्तियाँ'' के अंतर्गत प्राप्तियाँ	प्रतिशत
0801	बिजली	358.81	358.81	100
0217	शहरी विकास	35.08	35.08	100
0035	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	583.52	583.52	100
0056	जेल	6.19	6.19	100
0211	परिवार कल्याण	0.09	0.09	100
0702	लघु सिंचाई	336.25	336.25	100
0875	अन्य उद्योग	0.01	0.01	100
1452	पर्यटन	89.18	89.18	100
0852	उद्योग	24.41	24.39	99.92
0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	88.78	87.32	98.36
0059	लोक निर्माण कार्य	115.93	113.88	98.23
0220	सूचना तथा प्रचार	0.25	0.24	96.00
1601	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान[क]	2,39,62.53	2,14,24.36	89.41
0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	1.91	1.70	89.01
0215	जलपूर्ति एवं साफ सफाई	31.15	27.64	88.73
0853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	3,168.28	2,534.81	80.01
0039	राज्य उत्पाद शुल्क	7,532.59	5,824.73	77.33
0401	फसल कृषि–कर्म	48.38	31.20	64.49
0700	मुख्य सिंचाई	35.35	22.05	62.38
0403	पशुपालन	3.69	1.59	43.09
0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यØम	19.54	7.83	40.07
0230	श्रम एवं रोजगार	26.18	9.35	35.71
0405	मछली पालन	6.70	2.32	34.63
0049	ब्याज प्राप्तिया¡	581.67	153.83	26.45
0851	ग्राम तथा लघु उद्योग	3.58	0.86	24.02
0043	विद्युत कर तथा शुल्क	2,620.53	586.59	22.38
0055	पुलिस	149.89	32.28	21.54
0406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	917.98	185.80	20.24
0029	भू–राजस्व	406.65	69.25	17.03
0408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार	0.14	0.02	14.29
0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	167.04	22.42	13.42
0075	विविध सामान्य सेवाएं	115.09	15.18	13.19
1054	सड़क तथा सेतु	2.70	0.33	12.22
0810	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	12.82	1.34	10.45
	योग	**41,452.89**	**32,590.44**	

[क] मुख्यशीर्ष 1601–800 अन्य अनुदान से संबंधित आंकड़ों को दर्शाते हैं।

अनुलग्नक – ग

(संदर्भ : कंडिका 2 की उप कंडिका (i))

लघु शीर्ष 800 – ''अन्य व्यय'' के अन्तर्गत दर्ज मुख्यशीर्षवार व्यय का विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष		मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 –''अन्य व्यय'' के अंतर्गत व्यय	प्रतिशत
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4.92	4.92	100
4408	खाद्य, भण्डारण तथा भंडागार पर पूंजीगत परिव्यय	0.53	0.53	100
4852	लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	25.00	25.00	100
4853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1.77	1.77	100
4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	13.00	13.00	100
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	0.94	0.94	100
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.13	1.13	100
2852	उद्योग	1,621.93	1,608.36	99.16
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,165.88	1,097.06	94.10
2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	154.97	148.61	95.90
2702	लघु सिंचाई	150.47	137.89	91.64
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	3,169.35	2,755.90	86.95
4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5,869.53	4,836.79	82.40
5425	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	5.00	4.00	80
2217	शहरी विकास	4,819.62	3,457.87	71.75
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	16.55	11.27	68.10
2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	170.53	115.28	67.60
2853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	939.77	577.20	61.42
2075	विविध सामान्य सेवायें	34.57	19.60	56.70
2705	कमान क्षेत्र विकास	7.69	4.34	56.44
3454	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	89.74	50.19	55.93
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	549.83	267.39	48.63
2205	कला एवं संस्कृति	183.27	79.29	43.26

अनुलग्नक – ग – समाप्त

(संदर्भ : कंडिका 2 की उप कंडिका (i))

लघु शीर्ष 800 – ''अन्य व्यय'' के अन्तर्गत दर्ज मुख्यशीर्षवार व्यय का विवरण पत्रक

5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	4,662.70	1,855.14	39.78
4215	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	723.90	247.41	34.17
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,116.36	4,46.56	40.00
3054	सड़क तथा सेतु	1,244.95	331.73	26.65
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	202.32	40.75	20.14
2403	पशुपालन	784.81	150.31	19.15
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4,916.16	856.72	17.43
2701	मध्यम सिंचाई	382.39	90.07	23.55
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6.54	0.79	12.08
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	736.97	84.68	11.49
2405	मछली पालन	66.45	6.81	10.24
2700	मुख्य सिंचाई	147.06	15.03	10.22
	योग	**33,986.60**	**19,344.33**	

अनुलग्नक–घ

(संदर्भ : कंडिका 3 की उप कंडिका (vii))

उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेषों का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य / लघु शीर्ष	2014-15		2015-16		2016-17	
	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे
8658– उचंत लेखा						
101– वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	(-) 3.72	55.96	(-) 3.45	55.10	(-) 3.71	59.50
निवल	**नामे 59.68**		**नामे 58.55**		**नामे 63.21**	
102– उचंत लेखा (सिविल)	(-) 0.25	0.79	0.31	0.67	0.31	0.68
निवल	**नामे 1.04**		**नामे 0.36**		**नामे 0.37**	
107– नकद परिनिर्धारण उचंत लेखा	(-) 26.58	115.05	(-) 26.58	115.05	(-) 26.26	115.05
निवल	**नामे 141.63**		**नामे 141.63**		**नामे 141.31**	
110– रिजर्व बैंक उचंत – केन्द्रीय लेखा कार्यालय	(-) 6.01	154.98	(-) 5.93	212.51	414.01	0.84
निवल	**नामे 160.99**		**नामे 218.44**		**जमा 413.17**	
112– स्त्रोत पर कर कटौती ¼Vh-Mh-,l-½ उचंत	154.44	निरंक	198.94	निरंक	216.81	निरंक
निवल	**जमा 154.44**		**जमा 198.94**		**जमा 216.81**	
113– भविष्य निधि उचंत	निरंक	22.48	निरंक	18.02	निरंक	12.09
निवल	**नामे 22.48**		**नामे 18.02**		**नामे 12.09**	
129– सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखे	255.20	35.91	255.20	35.91	255.20	35.91
निवल	**जमा 219.29**		**जमा 219.29**		**जमा 219.29**	
8782– नकद प्रेषण –						
102– लोक निर्माण प्रेषण	79,694.32	77,888.49	93,678.86	92,176.86	1,09,929.68	1,08,122.64
निवल	**जमा 1,805.83**		**जमा 1,502.00**		**जमा 1,807.04**	
103– वन प्रेषण	15,047.15	14,969.44	16,638.35	16,540.21	18,197.33	18,066.92
निवल	**जमा 77.71**		**जमा 98.14**		**जमा 130.41**	
110– विविध प्रेषण	6,238.58	6,605.19	6,530.49	6,987.47	6,784.33	7,294.44
निवल	**नामे 366.61**		**नामे 456.98**		**नामे 510.11**	

अनुलग्नक–ङ

(संदर्भ : कंडिका 3 की उप कंडिका (x))

व्यय के अतिरेक (राजस्व एवं पूंजीगत) को दर्शाता विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	व्यय का विवरण	वर्ष 2016–17 के दौरान कुल व्यय	मार्च 2017 के दौरान व्यय	प्रतिशत
	राजस्व			
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	336.69	314.38	93.37
2853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	939.77	603.66	64.23
2801	बिजली	12,474.05	5,862.98	47.00
2075	विविध सामान्य सेवायें	34.57	16.13	46.66
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	6,807.09	3,016.72	44.32
2425	सहकारिता	1,093.47	413.44	37.81
2217	शहरी विकास	4,819.63	1,703.66	35.35
2501	ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	681.85	237.28	34.80
2250	अन्य सामाजिक सेवायें	154.97	49.87	32.18
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,095.05	812.09	26.24
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	89.74	23.13	25.77
2051	लोक सेवा आयोग	39.07	9.71	24.85
2013	मंत्री परिषद	105.88	25.17	23.77
2401	फसल कृषि–कर्म	4,969.92	1,170.92	23.56
2205	कला एवं संस्कृति	183.27	41.44	22.61
2220	सूचना तथा प्रचार	341.50	71.40	20.91
2215	जलपूर्ति तथा सफाई	3,016.96	614.31	20.36
2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	1,530.32	308.86	20.18
	योग	**40,713.80**	**15,295.15**	

अनुलग्नक– ङ – समाप्त

(संदर्भ : कंडिका 3 की उप कंडिका (x))

व्यय के अतिरेक (राजस्व एवं पूंजीगत) को दर्शाता विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	व्यय का विवरण	वर्ष 2016–17 के दौरान कुल व्यय	मार्च 2017 के दौरान व्यय	प्रतिशत
	पूँजीगत			
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	55.58	53.70	96.62
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	112.14	105.27	93.87
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	0.94	0.86	91.49
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4,666.56	4,238.76	90.83
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	69.94	42.84	61.25
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.13	0.68	60.18
5425	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	5.00	3.00	60.00
4408	खाद्य भण्डार तथा भण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय	0.53	0.28	52.83
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	362.85	198.77	54.78
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	203.85	84.64	41.52
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6.54	2.18	33.33
4210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	564.70	177.29	31.40
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	118.19	35.64	30.15
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,165.88	305.54	26.21
4215	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	723.90	171.19	23.65
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	16.55	3.61	21.81
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	202.32	42.74	21.12
	योग	**8,276.60**	**5,466.99**	